Sl. No.	Date of order of proceeding	Order with signature of the court	Office action taken with Date
1	2	3	4
	05-06-2026	**Vehicle Confiscation Appeal No –06/2026** **Dist. – Madhubani** == **Deepak Kumar Mishra** **Vs.** **Collector, Madhubani & Ors.** == अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा एडमिशन के बिन्दु पर पक्ष रखा गया। वाद सुनवाई के लिए स्वीकृत किया जाता है। खनिज विकास पदाधिकारी, मधुबनी अपील आवेदन के संदर्भ में कंडिकावार प्रत्युत्तर समर्पित करें। दिनांक–19.06.2026 को 11:00 बजे पूर्वाह्न में सुनवाई हेतु रखें। ह0/-- (अवनीश कुमार सिंह) खान आयुक्त ज्ञापांकः– 3631 /एम0, पटना, दिनांकः– 05/06/26 प्रतिलिपिः–समाहर्त्ता, मधुबनी/खनिज विकास पदाधिकारी, जिला खनन कार्यालय, मधुबनी/ दीपक कुमार मिश्रा, पिता–विंध्याचल मिश्रा, ग्राम–बड़ही टोला पंडौल, थाना–पंडौल, जिला–मधुबनी (बिहार), मो0– 9304785222, ई–मेल–aniket39@rediffmail.com/adhirahousing@gmail.com/आई0टी0 मैनेजर, खान एवं भूतत्व विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। 05/06/2026 विधि पदाधिकारी	

BEFORE,

MINES COMMISSIONER, PATNA

Appeal Case No. ………….. of 2026

Deepak Kumar Mishra …………..Appellant

Versus

The State of Bihar & Others. …….Respondents

INDEX

SI.NO.	***PARTICULARS***	***PAGES***
1.	An Appeal with Affidavit and I.D. Card.	1-15
2.	***Annexure-1*** A photo copy of letter dated 06.11.2025	16
3.	***Annexure-2*** A photo copy of the representation dated 08.11.2025 along with prepaid challan dated 06.11.2025	17-19
4.	***Annexure-3*** A photo copy of show cause letter dated 04.12.2025	20
5.	***Annexure-4*** A photo copy of the reply to the show cause dated 10.12.2025	21-27
6.	***Annexure-5*** A photo copy of letter dated 16.12.2025	28

7.	***Annexure-6*** A photo copy of the Mining Appeal Case No. 117/2025-26	29-37
8.	***Annexure-7*** A photo copy of the reply dated 09.02.2026	38-39
9.	***Annexure-8*** A photo copy of order dated 10.03.2026 passed in Mining Appeal Case No. 117/2025-26	40-43
10.	***Annexure-9*** A photo copy of the Medical Report from 21.11.2026 to 02.04.2026	44-49
	V A K A L A T N A M A	

BEFORE,

MINES COMMISSIONER, PATNA

Appeal Case No. .... of 2026

In the matter of an Appeal under Section 67 of Bihar Mineral (Concession, Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2019.

AND

In the matter of;

Deepak Kumar Mishra, Male, aged about 48 years, son of Vindhyachal Mishra, Resident of Village- Barhi Tola Pandaul, P.S. Pandaul, District- Madhubani (Bihar)

...............Appellant

VERSUS

1. The State of Bihar through the Secretary, Department of Mines and Geology, Government of Bihar, Patna.

2. The Secretary-cum-Mines Commissioner, Department Of Mines and Geology, Government of Bihar, Patna.
3. The State Transport Commissioner, Department of Transport, Government of Bihar, Vishweswaraiya Bhawan, 1st Floor, Bailey Road, Patna.
4. The District Magistrate, Madhubani.
5. The Superintendent of Police, Madhubani.
6. The Mineral Development Officer, Madhubani.
7. The District Mining Officer, Madhubani.
8. The Mining Inspector, Madhubani
9. The Officer-In-Charge, Police Station- Pandaul, District- Madhubani.

...Respondents

The humble Appeal on behalf of the above named Appellant.

MOST RESPECTFULLY SHEWETH:-

1. (i) That the instant Appeal is being filed challenging the order dated 10.03.2026 passed in Mining Appeal Case No. 117/2025, whereby and whereunder the Appeal filed by the Appellant challenging the order passed by the Mining Inspector, Madhubani whereby and where under

penalty of Rs. 8,43,116/- has been inflicted against the Appellant under Rule-56(2) of the Bihar Mineral (Concession, Prevention, Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2019 and under Amended Rules, 2024 for violating Rule-11, 43, 56(1) of the Mining Rules and along with imposing penalty, the authorities have also seized the vehicle of the Appellant.

(ii) For setting aside the fine imposed against the Appellant by the Mining Officer, Madhubani to the tune of Rs. 8,43,116/- vide letter No. 2 dated 06.11.2025, which has been issued against the Appellant without issuing show cause notice to the Appellant in violation of principles of natural justice

(iii) For any other relief/reliefs for which the Appellant is entitled to.

2. That to appreciate the gravamen of the controversy exposition of facts in brief is necessitous.

3. That the factual matrix of the instant case is that the vehicle in question is a Commercial transport vehicle belonging to the Appellant having Registration No. BR-32GB 5131 (6 Wheeler Tipper) engaged in lawful carriage work.

4. That on 06.11.2025 at about 12:50 p.m. near Sakri, NH-27, when the vehicle of the Appellant was standing at approach road of Sakri Rack point of K.S. License Holder, where the vehicle of the Appellant after been loaded by the stone chips was parked and the driver had gone for taking challan from the K.S. License Holder, then the Mining Inspector, Madhubani, forcefully seized the vehicle of the Appellant and also abused and assaulted the staff and snatched his mobile phone without verifying the documents or without waiting for the challan.
5. That after seizing the vehicle, the vehicle of the Appellant was taken to Sakri Police Station inspite of repeated request of the staff of the Appellant that they are producing the challan issued by competent authority which the driver had gone to get from the K.S. License Holder office, but without adhering to the request of the staff of the Appellant and without issuing any show cause, the Mining Inspector, Madhubani issued letter No. 2 dated 06.11.2025 thereby seizing the vehicle of the Appellant under Section-11(43), 56(1) and 56(2) of the Mining Rules, 2019 and amended Rules, 2024.

A photo copy of letter dated 06.11.2025 is annexed herewith and Marked as ***Annexure-1*** to this Appeal.

6. That by letter dated 06.11.2025, not only the vehicle of the Appellant was seized but also a penalty of Rs. 8,43,116/- was imposed against the petitioner.
7. That immediately, thereafter the Appellant being aggrieved by the penalty order dated 06.11.2025, submitted a representation before the Collector-cum-Public Grievance Redressal Authority, Madhubani on 08.11.2025, raising the arbitrary action of the Mining Inspector who seized the vehicle of the Appellant and also imposed fine of Rs. 8,43,116/- and by the said representation, the Appellant submitted a brief synopsis of the relevant facts and along with the said representation, the Appellant had also provided copy of the Prepaid Challan issued by the concerned authority on 06.11.2025 itself at 01:04:06 P.M. itself along with other documents of the vehicle.

A photo copy of the representation dated 08.11.2025 along with prepaid challan dated 06.11.2025 is annexed herewith and Marked as ***Annexure-2*** to this Appeal.

8. That it is relevant to state here that the vehicle of the Appellant was seized on 06.11.2025 by the Mining Inspector, Madhubani at 12:50 P.M. and without waiting for the challan to be produced by the driver

of the petitioner, the concerned authority in haste had issued order dated 06.11.2025 directing the vehicle of the Appellant to be seized and also imposing fine against the petitioner. The Mining Inspector had issued the letter dated 06.11.2025 without giving any opportunity to the Appellant and without issuing any show cause notice, the vehicle of the Appellant was seized and the fine was imposed against the petitioner.

9. That it is after the Appellant represented before the District Magisrtrate-cum-Public Grievance Redressal Authority, Madhubani, it is then for the first time, the District Mining Officer, Madhubani issued show cause letter to the Appellant on 04.12.2025 asking explanation.

A photo copy of show cause letter dated 04.12.2025 is being annexed herewith and Marked as ***Annexure-3*** to this Appeal.

10. That thereafter the Appellant submitted his reply to the show cause on 10.12.2025 before the District Mining Officer, Madhubani taking a point wise defense reply.

A photo copy of the reply to the show cause dated 10.12.2025 is

being annexed herewith and Marked as ***Annexure-4*** to this Appeal.

11. That thereafter the Appellant was in receipt of a letter dated 16.12.2025 issued by District Mining Officer, Madhubani for giving written evidence on affidavit in support of the allegation leveled by the Appellant against the Mining Inspector as well as the Mining Officer of demanding bribe and it was communicated to the Appellant by the said letter that after submission of the concerned affidavit, further action will be taken in the matter of the petitioner.

A photo copy of letter dated 16.12.2025 is being annexed herewith and Marked as ***Annexure-5*** to this Appeal.

12. That thereafter the Appellant left with no option, preferred Mining Appeal vide Mining Appeal Case No. 117/2025-26 on 22.12.2025 before the Collector, Madhubani making a request for release of vehicle and also for quashing of the seizure made by the Mining Inspector vide order dated 06.11.2025.

A photo copy of the Mining Appeal Case No. 117/2025-26 is

being annexed herewith and Marked as ***Annexure-6*** to this Appeal.

13. That in the Appeal filed by the petitioner, the District Mining Officer, Madhubani submitted his reply reiterating the same stand taken by the Mining Inspector and did not submit any reply to the defence taken by the petitioner.

A photo copy of the reply dated 09.02.2026 is annexed herewith and Marked as ***Annexure-7*** to this Appeal.

14. That the Appellate Authority without considering the stand taken by the Appellant passed a mechanical order dated 10.03.2026 and upheld the decision taken by the Mining Inspector and accordingly the appeal filed by the Appellant was rejected and it was directed that the vehicle of the Appellant will be released only when the Appellant deposit the entire amount as disclosed in the order passed by the Mining Inspector dated 06.11.2025.

A photo copy of order dated 10.03.2026 passed in Mining Appeal Case No. 117/2025-26 is

annexed herewith and Marked as ***Annexure-8*** to this Appeal.

15. That from above, it is evidently clear that the Respondent Authorities starting from the Mining Officer till the level of Collector have not appreciated this fact that the penalty order dated 06.11.2025 has been passed without any application of mind and in utter abuse of the power vested upon the authority. The order dated 06.11.2025, by which, penalty has been inflicted against the Appellant under Rule-56(2) of the 2019 Rules has been passed against the Appellant for violating Rule-11, 43, 56(1) of the 2019 Rules, whereas, no case is made out under such Rules against the Appellant as the Appellant on 06.11.2025 itself, a valid E-challan was presented by the driver of the Appellant before the Mining Inspector but he refused to acknowledge and without giving any opportunity to the Appellant, straight away order dated 06.11.2025 was passed by the Mining Inspector, Madhubani.

16. That it is further relevant to state here that Section-56(1) is regarding unauthorized mining concerning a person found to be extracting or removing minor minerals, whereas, in the instant case beyond stretch of any imagination no case under Rule-56(1) of Mining Rules is made out against the Appellant or his driver. It is an admitted position that the vehicle of the Appellant was standing near the rack point at

approach road of Sakri Rack point of K.S. License Holder and after the vehicle been loaded by the stone chips were parked and the driver has gone to take the challan from the K.S. License Holder, it is then the Mining Inspector forcefully seized the vehicle and took the vehicle through his own driver to the Sakri Police Station forcefully and in that process when the cleaner of the vehicle of the Appellant requested the Mining Inspector that the driver has gone to the rack point for taking challan, then the Mining Inspector abuse and assaulted the cleaner and snatched his mobile phone and switched of his mobile and took the vehicle.

17. That the respondent authorities have failed to appreciate that the penalty order dated 06.11.2025 has been passed without application of mind as Section-11 and Section-43is concerning prohibition on mining operation without permit or mining lease whereas, in the instant case, the Appellant driver was carrying stone chips with a valid Challan.

18. That there has been a delay of 8 days which is not intentional as the Appellant was involved in taking care of her Nephew (Bhagina) Prashant Kumar who had met with a serious accident and was in critical condition, for which he was admitted at Delhi AIIMS in the month of November, 2025, where he underwent critical surgery and thereafter he was required to be taken for regular follow up at AIIMS

itself till the month of March, 2026. The Appellant being the guardian as well as the care taker was involved in the treatment of his nephew and therefore, there was delay in approaching the lawyer and in the month of April, 2026, the Appellant contacted his lawyer who after thorough discussion prepared the Appeal.

A photo copy of the Medical Report from 21.11.2026 to 02.04.2026, are being annexed herewith and Marked as ***Annexure-9*** to this Appeal.

19. That it is therefore, humbly requested that the delay is not intentional rather it is on account of bonafide reasons, the Appeal could not be filed earlier.

20. That the Appellant has got a good case and balance of convenience lies in the favour of the Appellant.

Being aggrieved by and dissatisfied with the order dated 10.03.2026 passed in Mining Appeal Case No. 117/2025-26 along with the demand notice 06.11.2025 contained in Letter No. 2, the Appellant named above begs to prefer this Appeal on amongst the followings :

GROUNDS :-

a. For that the action of the respondent authorities are malafide, arbitrary, without jurisdiction and abuse of power vested in them.

b. For that the action of the respondent Authorities are Violative of principles of natural justice.

c. For that the action of the respondent authorities are Violative of Article-14, 21 of the Constitution of India.

d. For that the action of the respondent authorities are nothing but colourable exercise of power.

e. For that the Collector, Madhubani has failed to appreciate that no offence is made out against the Appellant under-2019 Rules.

f. For that the Collector, Madhubani as well as the Mining Inspector, Madhubani has failed to appreciate that it is not a case of illegal mining and Section-56(1) of 2019 Rules has no application in the instant case.

g. For that the respondent authorities have failed to appreciate that the penalty order dated 06.11.2025 has been passed without application of mind as Section-11 and Section-43is

concerning prohibition on mining operation without permit or mining lease whereas, in the instant case, the Appellant driver was carrying stone chips with a valid Challan.

h. For that the demand of interest is otherwise bad in the eye of law.

It is, therefore, prayed that your Lordships may graciously be pleased to admit this appeal, issue notice and after final hearing of the appeal be further pleased to set aside the order of the Collector dated 10.03.2026 passed in Appeal Case No. 117/2025-26 along with demand notice dated 06.11.2025 contained in Letter No. 02, so far as penalty of Rs. 8,43,116/- has been raised against the Appellant.

AND/OR

Pass such other order/orders as your Lordships may deem fit and proper in the facts and circumstances of this case.

And for this the Appellant shall ever pray.

AFFIDAVIT

I, Deepak Kumar Mishra, Male, aged about 48 years, son of Vindhyachal Mishra, Resident of Village- Barhi Tola Pandaul, P.S. Pandaul, District- Madhubani (Bihar), do hereby solemnly affirm and state as follows:-

1. That I am Appellant in this case and as such I am well acquainted with the facts and circumstances of this case.
2. That the contents of this application I have been read over and explained to me in Hindi which I have fully understood the same and they are true to my knowledge and belief.
3. That the statements made in paragraphs No....3, 4, 6, 8, 16, 17, 19.... are true to my knowledge and those made in paragraphs No. ....5, 7, 9, 10, 11, 15, 13, 14, 18.... are true to my information derived from the relevant records of this case and rests are by way of submissions before this Hon'ble Court.
4. That the annexures are true copies of their respective originals.

Annnexure-I (16)

Annexure - P/4 (17)

जिला खनन कार्यालय, मधुबनी

पत्रांक 02 कैंम्प / एम0, दिनांक 06/11/2025।

प्रेषक,

खान निरीक्षक,
मधुबनी।

सेवा में,

थानाध्यक्ष,
साकरी थाना
जिला–मधुबनी।

विषयः– छापेमारी के दौरान लघु खनिज से लदे जब्त वाहन / वाहनों को लघु खनिज सहित अगले आदेश तक अभिरक्षा में रखने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि दिनांक 06/11/25 को समय 12:50 PM ...बजे पूर्वा0 / अप0 में सकरी थाना थाना / ओ0पी0 अन्तर्गत से अवैध खनन एवं परिवहन के रोकथाम हेतु बिना वैध चालान / चालान में अंकित मात्रा से अधिक (ओवरलोड) लघु खनिज यथा–बालू / पत्थर / मोरम / मिट्टी / डस्ट से लदे वाहन / वाहनों को जब्त किया गया, जिसकी विवरणी निम्न है:–

क्र0	जब्त वाहनों का निबंधन संख्या एवं प्रकार	लघु खनिज का नाम एवं मात्रा	वसूलनीय शमन शुल्क एवं खनिज मूल्य की राशि	अभ्युक्ति
01)	BR32GB5131 (6 wheeler Tipper)	Gitti 180 cft Approx.	₹ 8,43,116/- चार लाख तैंतालिस हजार एक सौ सोलह रुपया।	बिना चालान बिना ग्रेडिंग

उपरोक्त जब्त वाहनों के स्वामी / चालक के द्वारा बिहार खनिज (समानुदान अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली 2019 यथा संशोधित नियमावली, 2024 के नियम 11, 43, 56(1) का उल्लंघन है जो नियम 56(2) के तहत दंडनीय है।

अतः उपरोक्त जब्त वाहनों के मालिक / चालक पर नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करने तक आपके थाना परिसर में लघु खनिज सहित जब्त वाहन / वाहनों को सुरक्षित अभिरक्षा में रखने हेतु आपको हस्तगत कराया जाता है।

विश्वासभाजन,
Deepak
खान निरीक्षक,
मधुबनी।

ज्ञापांक 02 / एम0, मधुबनी दिनांक 06/11/25

प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी महोदय, मधुबनी को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपिः– जिला परिवहन पदाधिकारी, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– वाहन मालिक / चालक को सूचनार्थ एवं सूचित करना है कि एक माह के अन्दर खनिज मूल्य एवं शमन शुल्क का भुगतान नहीं किये जाने की स्थिति में बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) (संशोधन) नियमावली 2021 के नियम 56(4) एवं 56(7) के तहत जब्त सामग्री को समाहर्त्ता महोदय के द्वारा राज्यसात् (Confiscate) कर नीलामी (Auction) की कार्रवाई की जायेगी।

Deepak

Annexure-2 (17)

Annexure-P/2 (18)

सेवा में,

जिला पदाधिकारी सह लोक शिकायत पदाधिकारी,

मधुबनी, बिहार।

विषय: खनन निरीक्षक दीपक तथा जिला खनन पदाधिकारी संतोष द्वारा अवैध रूप से वाहन जप्त करने, मारपीट करने एवं रिश्वत मांगने के संबंध में शिकायत।

महोदय,

मैं दीपक कुमार मिश्रा, निवासी बरही टोला पाण्डौल थाना पाण्डौल, जिला मधुबनी, अत्यंत विनम्रतापूर्वक यह शिकायत आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि दिनांक 06.11.2025 को जिला खनन कार्यालय, मधुबनी के पदाधिकारी — खनन निरीक्षक श्री दीपक द्वारा मेरे वाहन संख्या BR32GB5131 (6 Wheeler Tipper) को, जिसमें गिट्टी (Stone Chips) लदा हुआ था, अवैध रूप से जप्त कर लिया गया, जबकि परिवहन पूर्णतः वैध था।

घटना की वास्तविक स्थिति यह थी कि मेरा वाहन लोडिंग के बाद रैक के बगल में पार्किंग में खड़ा था, और चालान बनवाने हेतु मेरा ड्राइवर कार्यालय गया हुआ था। इसी दौरान खनन निरीक्षक श्री दीपक उनके ड्राईवर वो दो तीन अन्य लोग जो दीपक जी के साथ थे वहाँ पहुँचे और मेरे स्टाफ के साथ गाली-गलौज एवं मारपीट की, उसका मोबाइल फोन छीन लिया, स्विच ओफ़ कर दिया तथा बिना कुछ सुने जबरन वाहन को जप्त कर लिया और उसे अपने ड्राईवर से सकरी थाना में खड़ा करा दिया।और फिर मोबाइल वापस कर दिया गया एवं बताया गया कि मधुबनी जाकर संतोष जी से मेलें

इसके पश्चात दोनों पदाधिकारियों — खनन निरीक्षक श्री दीपक एवं जिला खनन पदाधिकारी श्री संतोष — ने वाहन छोड़ने के लिए रिश्वत की माँग की और धमकी दी कि यदि राशि नहीं दी गई तो वाहन को खनन नियमों के अंतर्गत जब्त (Confiscate) कर लिया जाएगा। एवं खनन नियमावली के आड़ में इतना धारा और जुर्माना लगाएँगे कि बर्बाद हो जाओगे।

दोनों अधिकारियों का यह कृत्य पद के दुरुपयोग, भ्रष्टाचार, मारपीट एवं बिहार लघु खनिज नियमावली, 2019 तथा बिहार खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की

रोकथाम) नियमावली, 2021 का गंभीर उल्लंघन है। इससे प्रशासन की साख धूमिल होती है तथा ईमानदारी से कार्य करने वाले परिवहनकर्ताओं का उत्पीड़न होता है।

अतः आपसे सविनय अनुरोध है कि कृपया—

1. **इस प्रकरण की निष्पक्ष एवं त्वरित जाँच कराई जाए।**
2. **जप्ती के समय की वास्तविक परिस्थितियों एवं वैध चालान के दस्तावेजों की सत्यता की जाँच की जाए।**
3. **खनन निरीक्षक श्री दीपक एवं जिला खनन पदाधिकारी श्री संतोष के विरुद्ध** विभागीय एवं दंडात्मक कार्रवाई की जाए।
4. मेरे वाहन संख्या BR32GB5131 एवं उस पर लदे खनिज सामग्री को शीघ्र रिहा करने का निर्देश दिया जाए, क्योंकि परिवहन वैध था।
5. भविष्य में ऐसे पदाधिकारियों द्वारा शक्ति का दुरुपयोग एवं ईमानदार नागरिकों का उत्पीड़न रोकने हेतु कठोर प्रशासनिक कदम उठाए जाएँ।

आपके न्यायोचित एवं त्वरित हस्तक्षेप की अपेक्षा है और मैं महोदय का सदा आभारी रहूँगा।

Deepak
08/11/25

(हस्ताक्षर)

दीपक कुमार मिश्रा
बरही टोला पाण्डौल थाना
पाण्डौल, जिला मधुबनी
मोबाइल नं.: 9122707172

दिनांक: 08.11.2025

स्थान: मधुबनी

संलग्नक:

1. जप्ती प्रतिलिपि (दिनांक 06.11.2025)
2. वैध चालान की प्रति

अनुज्ञप्तिधारी की कॉपी — प्रिंट दिनांक : 06 Nov 2025 01:04:10 PM

Prepaid Challan
खनिज अभिवहन पास / चालान (प्रीपेड)
खान एवं भूतत्व विभाग
बिहार सरकार

122154952412

यूआईडी	: 122154952412 एआईडी : F102500422
चालान / पास न.	: 262921251106010406127
1.अनुज्ञप्तिधारी का नाम और स्थान	: MS RS STONE PARTNER AMRESH KUMAR,SAKRI
2.अनुज्ञप्ति संख्या	: K-MADHUBANI/10/2025
3.अनुज्ञप्तिधारी का जिला	: MADHUBANI
4.अनुज्ञप्तिधारी का मोबाइल नंबर	: 7857014414
5.इस चालान के जारी करने की तारीख और समय	: 06 Nov 2025 01:04:06 PM
6.चालान अवधी समाप्ति की तारीख / समय	: 06 Nov 2025 7:04:06 PM
7.खनिज का नाम	: STONE-STONE(CHIPS)-No Size
8.खनिज का वजन (MT में)	: 5.110
9.खनिज की मात्रा (Cft में)	: 127.750
10.ग्राहक का नाम	: PARVASH KUMAR
11.ग्राहक का मोबाइल नंबर	6200666543
12.वाहन का गंतव्य स्थान	: RAHIKA HIGH SCHOOL DISTRICT : MADHUBANI STATE : BIHAR थाना : Rahika प्रखंड : RAHIKA
13.वाहन संख्या	: BR32GB5131
14.वाहन के प्रकार	: Truck/ChassisNo-MAT786001N8A*****

चालक की कॉपी — प्रिंट दिनांक : 06 Nov 2025 01:04:10 PM

Prepaid Challan
खनिज अभिवहन पास / चालान (प्रीपेड)
खान एवं भूतत्व विभाग
बिहार सरकार

122154952412

यूआईडी	: 122154952412 एआईडी : F102500422
चालान / पास नं.	: 262921251106010406127
1.अनुज्ञप्तिधारी का नाम और स्थान	: MS RS STONE PARTNER AMRESH KUMAR,SAKRI
2.अनुज्ञप्ति संख्या	: K-MADHUBANI/10/2025
3.अनुज्ञप्तिधारी का जिला	: MADHUBANI
4.अनुज्ञप्तिधारी का मोबाइल नंबर	: 7857014414
5.इस चालान के जारी करने की तारीख और समय	: 06 Nov 2025 01:04:06 PM
6.चालान अवधी समाप्ति की तारीख / समय	: 06 Nov 2025 7:04:06 PM
7.खनिज का नाम	: STONE-STONE(CHIPS)-No Size
8.खनिज का वजन (MT में)	: 5.110
9.खनिज की मात्रा (Cft में)	: 127.750
10. ग्राहक का नाम	: PARVASH KUMAR
11.ग्राहक का मोबाइल नंबर	: 6200666543
12.वाहन का गंतव्य स्थान	: RAHIKA HIGH SCHOOL DISTRICT : MADHUBANI STATE : BIHAR थाना : Rahika प्रखंड : RAHIKA
13.वाहन संख्या	: BR32GB5131
14.वाहन के प्रकार	: Truck/ChassisNo-MAT786001N8A*****

Annexure-3

Annexure-112

(20) (21) (22)

जिला खनन कार्यालय, मधुबनी

ज्ञापांक–870/एम0, मधुबनी, दिनांक–04/12/2025 ई0।

प्रेषित,

अधीरा हाउसिंग,
प्रो0–श्री दीपक कुमार मिश्रा,
प्लॉट नं0–12, इंडस्ट्रीयल एरिया, पंडौल
जिला–मधुबनी।
पिन कोड–847234
मो0–9122707172

विषय :– **सकरी थाना में दिनांक–06.11.2025 को जब्त आपका वाहन निबंधन सं0–BR32GB-5131 (छः चक्का हाईड्रोलिक टीपर) के द्वारा लघु खनिज गिट्टी के अवैध परिवहन के लिए लगाए जाने वाले दण्ड हेतु सुनवाई में उपस्थित रहने एवं अपना पक्ष रखने के संबंध में।**

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक–06.11.2025 को लघु खनिज गिट्टी (180 CFT) के अवैध परिवहन (बिना चालान) के कारण आपके वाहन निबंधन सं0–BR32GB-5131 (छः चक्का हाईड्रोलिक टीपर), चेसिस सं0–MAT786001N8A01823 एवं इंजन सं0–3 3LNGD06AXX501696 को खान निरीक्षक, मधुबनी के द्वारा जब्त कर सकरी थाना में सुरक्षार्थ रखा गया था एवं ₹8,43,116/- (आठ लाख तैंतालीस हजार एक सौ सोलह) रुपये का दण्ड अधिरोपित किया गया था।

यदि अधिरोपित दण्ड के संबंध में आपको कुछ कहना हो तो इसके लिए दिनांक–10.12.2025 (बुधवार) को समय अपराह्न 01:00 बजे अधोहस्ताक्षरी कार्यालय प्रकोष्ठ में सुनवाई निर्धारित की गई है।

अतः अनुरोध है कि सुनवाई की उक्त निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना सुनिश्चित किया जाए। यदि आपके द्वारा उक्त निर्धारित तिथि समय एवं स्थान पर अपना पक्ष नहीं रखा जाता है तो यह माना जाएगा कि इस संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है और Ex Parte आदेश पारित कर दिया जाएगा जिसके जिम्मेवार आप स्वयं होंगे।

Kumar 04.12.25

खनिज विकास पदाधिकारी
मधुबनी।

Annexure-4

(21)

महोदय,

मैं दीपक कुमार मिश्रा, प्रो० अधीरा हाउसिंग प्लॉट नं०-12, इंडस्ट्रियल परिसर, पंडौल, जिला मधुबनी, विनम्रतापूर्वक निम्नलिखित प्रार्थनापत्र निवेदन करता हूँ—

1. यह कि दिनांक 06.11.2025 को मेरा वाहन BR32GB-5131 (हाइड्रोलिक टिपर) विधिवत खरीदी गई जिसमें गिट्टी (Stone Chips) का परिवहन कर रहा था।

2. यह कि वैध चालान / ट्रांजिट परमिट जारी किया गया था, जो उस समय वाहन चालक के पास मौजूद था।

3. यह कि चालक द्वारा वैध चालान दिखाए जाने के बावजूद अधिकारियों द्वारा चालान को नज़रअंदाज़ किया गया तथा वाहन को ज़ब्त कर लिया गया एवं ₹8,43,116/- का दंड लगाया गया।

4. यह कि परिवहन के समय वैध चालान उपलब्ध था, इसलिए "बिना चालान परिवहन" का आरोप वस्तुतः गलत है।

[illegible]

8. यह कि [illegible] वित्तीय संस्था से ऋण पर लिया गया है तथा वाहन का [illegible] प्रति माह ₹ 45,825/- नियमित रूप से जमा किया जा रहा है। वाहन की जब्ती के कारण ईएमआई भुगतान पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जिससे अत्यधिक आर्थिक क्षति हो रही है

9. यह कि <u>State of Bihar vs. Kedar Sao & Others, (2004) 9 SCC 344</u> सुप्रीम कोर्ट ने कहा:

जब परिवहन के समय वैध चालान / रसीद / कागज़ात मौजूद हों और परिवहन कानूनी रूप से किया जा रहा हो, तो केवल संदेह के आधार पर वाहन जब्त करना न्यायसंगत नहीं है।

अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होता है कि जब्ती केवल उन्हीं मामलों में हो, जहाँ स्पष्ट और ठोस प्रमाण हो कि अवैध खनन या अवैध परिवहन हुआ है।

यदि व्यक्ति के पास वैध दस्तावेज मौजूद हों, तो जब्ती तथा दंड अनुचित माना जाएगा।

Sunderbhai Ambalal Desai vs. State of Gujarat (2002) 10 SCC 283 सुप्रीम कोर्ट ने कहा:

[illegible]

[illegible] की [illegible] है।

[illegible]

[illegible] हो तो वाहन को शीघ्र रिहा किया जाना चाहिए।

[illegible] पूर्वक और न्यायपूर्ण तरीके

से होना चाहिए।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में, विनम्र प्रार्थना है

कि-

1. वाहन संख्या BR32GB-5131 (हाइड्रोलिक टिपर) को शीघ्र रिहा किया जाए।

2. दिनांक 04.12.2025 के नोटिस के आधार पर लगाया गया ₹8,43,116/- का दंड निरस्त / वापस किया जाए।

3. चूँकि परिवहन वैध चालान के साथ किया गया था, अतः मेरे विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए।

(24)

दिनांक 10/1[illegible]

भवदीय

दीपक कुमार मिश्र

प्रो० अधीरा हाउसिंग

वाहन स्वामी BR32GB-
5131

मोबाइल 912370[illegible]72

(25)

अनुज्ञप्तिधारी की कॉपी

प्रिंट दिनांक : 06 Nov 2025 01:04:10 PM

Prepaid Challan
खनिज अभिवहन पास / चालान (प्रीपेड)
खान एवं भूतत्व विभाग
बिहार सरकार

122154952412

यूआईडी	: 122154952412 एआईडी : F102500422
चालान / पास नं.	: 262921251106010406127
1.अनुज्ञप्तिधारी का नाम और स्थान	: MS RS STONE PARTNER AMRESH KUMAR,SAKRI
2.अनुज्ञप्ति संख्या	: K-MADHUBANI/10/2025
3.अनुज्ञप्तिधारी का जिला	: MADHUBANI
4.अनुज्ञप्तिधारी का मोबाइल नंबर	: 7857014414
5.इस चालान के जारी करने की तारीख और समय	: 06 Nov 2025 01:04:06 PM
6.चालान अवधी समाप्ति की तारीख / समय	: 06 Nov 2025 7:04:06 PM
7.खनिज का नाम	: STONE-STONE(CHIPS)-No Size
8.खनिज का वजन (MT में)	: 5.110
9.खनिज की मात्रा (Cft में)	: 127.750
10.ग्राहक का नाम	: PARVASH KUMAR
11.ग्राहक का मोबाइल नंबर	6200666543
12.वाहन का गंतव्य स्थान	: RAHIKA HIGH SCHOOL DISTRICT : MADHUBANI STATE : BIHAR थाना : Rahika प्रखंड : RAHIKA
13.वाहन संख्या	: BR32GB5131
14.वाहन के प्रकार	: Truck/ChassisNo-MAT786001N8A*****

चालक की कॉपी

प्रिंट दिनांक : 06 Nov 2025 01:04:10 PM

Prepaid Challan
खनिज अभिवहन पास / चालान (प्रीपेड)
खान एवं भूतत्व विभाग
बिहार सरकार

122154952412

यूआईडी	: 122154952412 एआईडी : F102500422
चालान / पास नं.	: 262921251106010406127
1.अनुज्ञप्तिधारी का नाम और स्थान	: MS RS STONE PARTNER AMRESH KUMAR,SAKRI
2.अनुज्ञप्ति संख्या	: K-MADHUBANI/10/2025
3.अनुज्ञप्तिधारी का जिला	: MADHUBANI
4.अनुज्ञप्तिधारी का मोबाइल नंबर	: 7857014414
5.इस चालान के जारी करने की तारीख और समय	: 06 Nov 2025 01:04:06 PM
6.चालान अवधी समाप्ति की तारीख / समय	: 06 Nov 2025 7:04:06 PM
7.खनिज का नाम	: STONE-STONE(CHIPS)-No Size
8.खनिज का वजन (MT में)	: 5.110
9.खनिज की मात्रा (Cft में)	: 127.750
10. ग्राहक का नाम	: PARVASH KUMAR
11.ग्राहक का मोबाइल नंबर	: 6200666543
12.वाहन का गंतव्य स्थान	: RAHIKA HIGH SCHOOL DISTRICT : MADHUBANI STATE : BIHAR थाना : Rahika प्रखंड : RAHIKA
13.वाहन संख्या	: BR32GB5131
14.वाहन के प्रकार	: Truck/ChassisNo-MAT786001N8A*****

(26)

(27)

...IT PERMIT]
...e of Approval 16-Mar-2022

TRANSPORT DEPARTMENT, BIHAR

FORM P.Pu.C
Rule 73(7)(v)

बिहार सरकार

PERMIT IN RESPECT OF GOODS PERMIT (MEDIUM GOODS VEHICLE)

PART-A

1. Permit No	BR2022-GP-7544A
2. Name Of The Permit Holder	...HIRA HOUSING
3. Father's/Husband's Name	...PROP - DEEPAK KUMAR MISHRA
4. Address	PLOT NO-12 INDUSTRIAL AREA,PANDUAL PANDUAL PLOT NO-12 INDUSTRIAL AREA,PANDUAL, Bihar Madhubani-847234
5.(i) Registration Mark of the Vehicle	BR32GB5131
(ii) Registration Date	[illegible]
(iii) Make/Model	TATA MOTORS LTD/912 LPK DCR27UBT 125B6M5
(iv) Chassis Number	MAT...600...N8A01823
(v) Engine Number	913LNGD06AXX501696
(vi) Class of Vehicle	Goods Carrier
(vii) Number of Persons to be carried	2
(viii) Replacement Of vehicle	
(ix) Other Criteria Field	
(x) Manuf. year of the motor vehicle	2022
(x) Name of Financier,if any,with whom the Vehicle is under Hire Purchase aggrement	TATA MOTORS FINANCE LIMITED
(xi) Service Type	Goods Service

6. The route or routes of the area for which the permit is valid.

Region Covered :	ALL BIHAR
7. Validity of the Permit :	From: 16-Mar-2022 To: 15-Mar-2027
8. Load Capacity of Vehicle :	
(i) Gross Weight of Vehicle	9600
(ii) Unladen Weight	4485
(iii) Pay Load	5115
9. Nature of Goods to be carried	

...ate 16-Mar-2022

Secretary,
State/Regional Transport Authority,
MADHUBANI, Bihar

District Transport Officer

बिहार सरकार

27

Indian Union Vehicle Registration Certificate

Issued by Government of Bihar

Regn. Number: BR32GB5131
Date of Regn.: 16-03-2022
Regn. Validity: As per Fitness
Owner Serial: 1

Chassis Number: MAT766001NBA01823

Engine/Motor Number: 3.3LNGD06AXX501696

Owner Name: ADHIRA HOUSING

Son / Wife / Daughter of (In case of Individual Owner): PROP- DEEPAK KUMAR MISHRA

Address:
PLOT NO-12,INDUSTRIAL AREA,PANDUAL, PANDUAL.
PLOT NO-12,INDUSTRIAL AREA,PANDUAL,
MADHUBANI, BR, 847234

ɛL
sion Norms
RAT STAGE VI

Card Issue Date (11-05-2022)

Vehicle Class: GOODS CARRIER (MGV)

Regn. Number: BR32GB5131

Maker's Name: TATA MOTORS LTD

Model Name: 912 LPK DCR27UBT125B6M5

Colour: BRICK_RED

Body Type: TIPPER

Seating (in all) / Standing # / Sleeper Capacity #: 3 / 0 / 0

Month-Year of Mfg.: 01 - [illegible]

Unladen / Laden # / Gross Combination # Weight (kg): 4485 / 9600 / 0

Number of Cylinders: 4

Cubic Capacity / Horse Power(BHP/Kw) / Wheel Base(mm): 3300.0 / 123.28 / 2775

Number of Axle #: 2

Financer Name #: TATA MOTORS FINANCE LIMITED

From 23A

Registration Authority
DTO - MADHUBANI

Annexure - 5 (28)

Annexure P/4 (2?)

1/3[illegible]301/202

?/775/2025-MIN-MDB

जिला खनन कार्यालय, मधुबनी

ज्ञापांक–1000 / एम0, मधुबनी, दिनांक–16 / 12 / 2025 ई0।

प्रेषित:–

श्री दीपक कुमार मिश्रा
बरही ढोला, थाना–पंडौल
जिला–मधुबनी,
मो0 नं0–9122707172

विषय:– खनिज विकास पदाधिकारी, मधुबनी एवं खान निरीक्षक, मधुबनी श्री दीपक कुमार महतो के विरूद्ध आपके द्वारा लगाए गए आरोप (मारपीट करने एवं रिश्वत माँगने) के संबंध में लिखित सम्पुष्टि, शपथ पत्र एवं साक्ष्य उपलब्ध कराने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक–06.11.2025 को लघु खनिज मिट्टी (180 CFT) के अवैध परिवहन (बिना चालान) के कारण आपके वाहन निबंधन सं0–BR32GB-5131 (छः चक्का हाईड्रोलिक टीपर), चेसिस सं0–MAT786001N8A01823 एवं इंजन सं0–3 3LNGD06AXX501696 को खान निरीक्षक, मधुबनी के द्वारा जब्त कर सकरी थाना में सुरक्षार्थ रखा गया था एवं ₹8,43,116/- (आठ लाख तैंतालीस हजार एक सौ सोलह) रूपये का दण्ड अधिरोपित किया गया था।

जिला पदाधिकारी, मधुबनी को सम्बोधित आपका पत्र दिनांक–08.11.2025 इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है जिसमें आपके द्वारा आरोप लगाया गया है कि आपके उपरोक्त जप्त वाहन BR32GB-5131 को छोड़ने के लिए खान निरीक्षक श्री दीपक कुमार महतो एवं खनिज विकास पदाधिकारी, श्री संतोष कुमार ने रिश्वत की माँग की। आपके द्वारा लगाए गए आरोपों की जाँच प्रारंभ करने से पूर्व आरोपों की लिखित संपुष्टि, शपथ पत्र एवं साक्ष्य की आवश्यकता है।

अतः अनुरोध है कि आपके द्वारा लगाए गए आरोपों से संबंधित लिखित संपुष्टि, शपथ पत्र एवं आवश्यक साक्ष्य दिनांक–22.12.2025 तक इस कार्यालय में उपस्थित होकर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि आपके द्वारा दायर परिवाद पर नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई की जा सके।

Kumar 16.12.25

खनिज विकास पदाधिकारी,
मधुबनी।

E:\2025\Mines Letter-2025.doc

Annexure-6

~~Annexure-A/P/6~~

IN THE COURT OF THE DISTRICT MAGISTRATE-CUM-COMPETENT AUTHORITY, MADHUBANI

(Under Bihar Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2021 r.w.f 2019)

Mining Appeal Case No. _______ / 2025

In the matter of:

Deepak Kumar Mishra, R/o Barhi Tol, P.S. Pandaul, District Madhubani. … **Petitioner/Owner**

Versus

The State of Bihar,

Through the District Mining Officer, Madhubani.

… **Opposite Party**

The humble Petition for Release of Vehicle Bearing Registration No. BR32GB5131

22/12/25

May it please Your Honour,

1. That the petitioner is the registered owner of the vehicle bearing registration no. BR32GB5131 (6 Wheeler Tipper), which was seized on 06.11.2025 by the Mining Inspector, Madhubani, under the allegation of illegal transportation of minor minerals (Stone Chips).
2. That the said seizure was affected when the vehicle was standing in the parking beside the rack after loading, and the driver had gone to obtain a valid challan from the office. However, without verifying the documents or waiting for the challan, Mining Inspector forcibly seized the vehicle, abused and assaulted the staff, and snatched his mobile phone, thereafter parking the vehicle at Sakri Police Station.
3. That the petitioner submits that a valid challan was available and was being issued on the day of seizure. Thus, the seizure was arbitrary, illegal, and without jurisdiction, violating the provisions of the Bihar Minor Mineral Concession Rules, 2019, and the Bihar Minerals (Prevention

of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2021.

4. That, as per Rule 57(1) of the Bihar Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2021, the competent authority (District Magistrate) has the power to release the seized vehicle upon satisfaction that the minerals were being transported legally or that the seizure was unjustified.

5. That the Hon'ble Patna High Court in **C.W.J.C. No. 1488/2025 Sushil Kumar Yadav vs The state of Bihar**, held that:

"Where the vehicle was seized with valid documents or the seizure was not supported by proper inquiry under the Mining Rules, the same shall be released by the competent authority without delay, as an arbitrary seizure amounts to violation of Article 300A of the Constitution of India."

6. That further, the Hon'ble Court observed that the District Magistrate, being the competent authority, is bound to release the vehicle when

the transportation is duly supported by valid documents or when the seizure appears malafide.

7. That the petitioner submits that the seizure was malafide, done with an ulterior motive of extracting illegal gratification, and hence the same deserves to be quashed.

8. That the petitioner is suffering huge financial loss as the vehicle is lying idle in the police station for no fault of his own, and the material loaded on it is perishable in nature.

9. That in view of the above facts and submissions, the petitioner most respectfully prays that Your Honour may graciously be pleased to—

   I. Order the immediate release of the vehicle bearing registration no. BR32GB5131 (6-Wheeler Tipper) along with its loaded material (Stone Chips) in favour of the petitioner;

   II. Hold that the seizure made by the Mining Inspector, Madhubani, was illegal and arbitrary; and

   III. Pass any other appropriate order deemed fit in the interest of justice.

And for this act of kindness, the petitioner shall ever pray.

Deepak Kumar Mishra

22/12/25

Petitioner/Owner

R/o Barhi Tol, P.S. Pandaul, District Madhubani.

Mobile No: [__________]

Filed Through Counsel:

Adv. Atul Kumar Jha

Civil Court, Madhubani

Before,

The District Collector, Madhubani, Bihar

Through: District Legal Section, Madhubani

In: Mining Appeal Case No. 117/2025-26
Deepak Kumar Mishra Vs. State

THE HUMBLE REJOINDER ON BEHALF OF THE APPELLANT

Most Respectfully Submitted:

1. That the appellant is the registered owner of the hydraulic tipper bearing registration no. BR32GB-5131.
2. That the vehicle is a commercial transport vehicle and is engaged in lawful carriage work. The present proceeding arises from a seizure dated 06.11.2025 at about 12:50 PM near Sakri (NH-27) by the Mining Inspector, Madhubani. The allegation that the vehicle was involved in the illegal transportation of minor minerals is completely incorrect and not supported by legally admissible evidence.

government loss. Hence, videography is only corroborative material and cannot independently establish a violation of Rule 43 or 56. Incorrect Allegation of Overloading (180 CFT vs 127.75 CFT).

6. That the allegation of 180 CFT mineral is purely presumptive. No scientific weighing or volumetric measurement was conducted in the presence of the appellant. No: weighbridge slip measurement panchnama, independent witness certification has been produced. Therefore, the overload allegation is speculative and legally unsustainable. Penal consequences cannot be based upon estimation. Misapplication of Rule 43 & Rule 56(1)(ii) Rule 43 applies only when transport is proved without a valid permit. Rule 56(1)(ii) applies when illegal mining or illegal transport is established by evidence.

7. That in the present case: mineral source not identified, no illegal excavation alleged no royalty loss assessed Challan exists. Therefore, statutory ingredients of offence are absent and provisions have been wrongly invoked. Penalty ₹8,44,116 Arbitrary and Illegal Penalty must be based upon quantified mineral verified illegal extraction assessed royalty loss The department has neither calculated actual government loss nor

3. That the vehicle was seized solely on the grounds that the driver could not immediately produce an e-challan. It is submitted that: Non-production of a document at the spot is not proof of illegal mining or illegal transport.

4. That the inspecting authority did not identify the source mine/stockyard, did not record a statement of the seller/lessee, did not conduct measurement through an authorised method, and did not prepare a scientific inspection report. Hence, no offence under mining law was established before seizure.

5. That the department alleges that the challan dated 06.12.2025 was generated after seizure. However, a) The Rules require the existence of lawful transport, not instantaneous physical display. b) The portal-based permit system often faces network delay and operator dependency. c) Delay in downloading or presenting the document does not automatically convert a lawful transport into illegal transport. Most importantly, the authority has not declared the challan forged or fabricated through any technical audit or portal verification. Therefore, the transportation cannot be presumed illegal. Geo-Tagged Videography is not proof of Illegal Mining. Videography merely shows the movement of the vehicle. It does not prove: illegal source, absence of royalty payment, illegal excavation,

established the unlawful excavation. Hence, the proposed penalty is arbitrary, disproportionate and violative of Article 14 of the Constitution of India. Before concluding illegality and imposing a penalty, no effective hearing was granted no measurement report supplied no videography copy supplied no technical report supplied.

8. Therefore, the proceedings are vitiated Law is settled that department must prove illegal mining. Mere suspicion, presumption or non-production of a document at the spot cannot reverse the burden onto the vehicle owner.

In view of the facts and law stated above, it is most respectfully prayed that:

1. The seizure dated 06.11.2025 be declared illegal.

2. Allegation of violation of Rule 43 & 56(1)(ii) be dropped.

3. Proposed penalty of ₹8,44,116 be set aside.

4. Vehicle BR32GB-5131 is to be treated as lawfully operated, and all proceedings are to be quashed.

And for this act of kindness, the appellant shall ever pray.

Annexure – I (130)

Annexure – R/7 (35)

...MIN-MDB

17360962/202

जिला खनन कार्यालय, मधुबनी

पत्रांक–117 / एम0, मधुबनी, दिनाक–09 / 02 / 2026 ई0।

प्रेषक,

खनिज विकास पदाधिकारी,
मधुबनी।

सेवा मे,

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा,
मधुबनी।

विषयः– **खनन अपील वाद सं0–117 / 2025–26 दीपक कुमार मिश्रा बनाम सरकार में प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।**

प्रसंगः– **भवदीय पत्रांक 207 / जि0वि0न्या0 दिनांक–29.01.2026**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रासंगिक पत्र के द्वारा विषयांकित खनन अपीलवाद में प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश प्राप्त है। प्रस्तुत अपीलवाद में अपीलकर्त्ता का कथन हैं कि दिनाक–06.11.2025 को खान निरीक्षक, मधुबनी के द्वारा उनका वाहन BR32GB-5131 को जब्त किया गया जो गलत है। अपीलकर्त्ता के द्वारा उक्त वाहन का खनिज परिवहन चालान प्रस्तुत किया गया है जो वाहन जब्ती के समय के बाद निर्गत है। अपीलकर्त्ता के द्वारा उनके जब्त वाहन को मुक्त करने हेतु अनुरोध किया गया है।

इस सबध मे कहना है कि दिनाक–06.11.2025 को समय 12:50 बजे अपराहन मे सकरी थाना के समीप श्री दीपक कुमार महतो, खान निरीक्षक, मधुबनी के द्वारा लघु खनिजों के अवैध परिवहन की जॉच के क्रम मे एक 06 चक्का हाइड्रॉलिक टिपर निबंधन संख्या–BR32GB-5131 को जाँच हेतु रोका गया एव वाहन चालक से वाहन पर लदे लघु खनिज गिट्टी के परिवहन के लिए वैध खनिज परिवहन चालान की मॉग की गई। वाहन चालक के द्वारा खनिज परिवहन का कोई भी वैध ई–चालान प्रस्तुत नही किया गया। इसलिए खान निरीक्षक के द्वारा उक्त वाहन जप्त कर नजदीकी थाना सकरी को सुरक्षार्थ सुपुर्द किया गया एवं इसकी एक प्रति वाहन चालक को हस्तगत कराई गई। इस सबध मे वाहन मालिक के द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष वाहन विमुक्ति हेतु अनुरोध किया गया। तदालोक मे सुनवाई के दौरान वाहन स्वामी का पक्ष सुनते हुए एव नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त का पालन करते हुए उनके आवेदन को इस कार्यालय के आदेश ज्ञापाक–1002 / एम0 दिनाक–16.12.2025 (Self Explanatory) (प्रति सलग्न) के द्वारा खारिज किया गया।

प्रस्तुत अपीलवाद मे अपीलकर्त्ता का कथन है कि उनका वाहन लोडिग के उपरान्त रैक के किनारे खड़ा था एव वाहन चालक चालान प्राप्त करने के लिए गया हुआ था। इस सबध मे कहना है कि अपीलकर्ता का उक्त कथन गलत है क्योंकि वाहन जब्ती के समय किए गए Geo-Tagged Videography के अवलोकन से स्पष्ट है कि वाहन को सकरी के पास NH-27 पर जब्त किया गया था एव चालक वाहन मे ही था। चालक से ई चालान की मांग करने पर उनके द्वारा कोई ई–चालान प्रस्तुत नही किया गया बल्कि Manual चालान प्रस्तुत किया गया जो नियमानुसार गलत है। अभ्यावेदन के अनुसार वाहन मालिक का कथन है कि वाहन चालक के पास वैध / ट्राजिट परमिट मौजूद था। अपीलकर्ता के द्वारा अपील आवेदन के साथ एक ई–चालान सलग्न किया गया है जो वाहन जब्ती के बाद निर्गत है।

जब्ती के अनुसार खान निरीक्षक के द्वारा वाहन को दिनाक–06.11.2025 को समय 12.50 बजे अपराहन मे सकरी थाना के समीप जब्त किया गया था। वाहन मालिक के द्वारा समर्पित चालान के अनुसार चालान निर्गत होने की तिथि एव समय दिनाक–06.12.2025 समय–1.04 बजे अपराहन का

(39)

(40)

है। इस प्रकार वाहन का खनिज परिवहन चालान वाहन जब्ती के समय के बाद निर्गत है। **इससे स्पष्ट है कि वाहन जब्ती के समय वाहन चालक के पास कोई भी वैध चालान नहीं था एवं वाहन जब्त होने के बाद परिवहन चालान निर्गत किया गया था।** यदि बहस के लिए वाहन मालिक द्वारा समर्पित चालान को Consider कर भी लिया जाय **(हालाँकि Consider करना गलत है इसलिए Consider नहीं किया जा रहा है)** तो भी चालान के अनुसार वाहन पर 127.75 CFT लदे गिट्टी का चालान है जबकि वाहन जब्ती के समय जब्ती से संबंधित कागजात के अनुसार वाहन पर 180 CFT गिट्टी लदा हुआ था। **इस प्रकार वाहन पर लदान क्षमता से अधिक (Overload) गिट्टी लदा हुआ था।**

इस प्रकार वाहन मालिक द्वारा समर्पित अपील आवेदन के अनुसार वाहन मालिक का दावा कि वाहन जब्त करने के समय वाहन चालक के पास वैध चालान उपलब्ध था, गलत, बेबुनियाद, साक्ष्यविहीन एवं तथ्य से परे है।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली 2019 यथा संशोधित, 2024 का नियम 43 एवं 56(1)(ii) निम्नवत है:-

> *43. परिवहन पर निषेध– कोई भी व्यक्ति कोई अयस्क/खनिज का निकलने वाले स्थान से किसी साधन द्वारा पट्टा क्षेत्र या खनिजों के एक स्टॉक से अन्य स्थान पर इस नियमावली के अधीन सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रपत्र–'छ' में या विहित प्रपत्र में वैध पारगमन पास/चालान/ई–चालान अपने पास रखे बिना परिवहन नहीं करेगा या करवाएगा अथवा ले जाएगा।*
>
> *56. खनिजों का अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण –*
>
> *(1)(ii). कोई व्यक्ति किसी खनिज का परिवहन अथवा भंडारण बिना वैध चालान के नही करेगा अथवा करवाएगा। साथ ही खनिज का परिवहन अवास्तविक, अनिबंधित एवं गैर वाणिज्यिक वाहन से नहीं करेगा।*

इस प्रकार बिना वैध चालान के उपरोक्त जब्त वाहन के द्वारा खनिज का परिवहन किया जाना बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली 2019 यथा संशोधित, 2024 के नियम 43 एवं 56(1)(ii) का उल्लंघन है जो नियम 56(2) के तहत दण्डनीय है। अतः खान निरीक्षक, मधुबनी के द्वारा उक्त वाहन को जब्त किया जाना एवं उक्त नियम 56(2) के अनुसार ₹8,44,116/–(आठ लाख चौवालीस हजार एक सौ सोलह) रुपये का दंड अधिरोपित किया जाना सही एवं नियम संगत है जिसे इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक–1002/एम0 दिनांक–16.12.2025 के द्वारा भी सही ठहराया गया है।

उक्त जब्त वाहन के विरुद्ध अभी तक वाहन मालिक अथवा चालक के द्वारा नियमानुसार शमन शुल्क एवं खनिज मूल्य की राशि जमा नहीं की गयी है। यदि दण्ड की उक्त राशि जिला खनन कार्यालय, मधुबनी में जमा कराये बिना उक्त वाहन को विमुक्त किया जाता है तो इससे सरकार को ₹8,44,116/–(आठ लाख चौवालीस हजार एक सौ सोलह) रुपये के राजस्व का नुकसान होगा।

उपरोक्त तथ्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि बिना खनिज परिवहन चालान के खनिजों का परिवहन किए जाने के कारण वाहन को जब्त किया गया था। खनिज परिवहन से संबंधित नियमों का पालन नहीं करने के कारण अपीलकर्त्ता का अपील स्वीकारनीय नहीं है।

अतः अनुरोध है कि अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज करने की कृपा की जाय। तथा वाहन स्वामी को ₹8,44,116/–(आठ लाख चौवालीस हजार एक सौ सोलह) रुपये दण्ड स्वरूप जिला खनन कार्यालय, मधुबनी में जमा करने का आदेश निर्गत करने की कृपा की जाय।

अनु०–यथोक्त।

विश्वासभाजन

Kumar 09.02.26

खनिज विकास पदाधिकारी,
मधुबनी।

Annexure - O

(50)

Annexure - P10

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी कार्रवाई
10.03.2026	**न्यायालय समाहर्त्ता, मधुबनी** **खनन अपील वाद संख्या–117/2025–26** दीपक कुमार मिश्रा। बनाम सरकार। प्रस्तुत वाद अपीलकर्त्ता दीपक कुमार मिश्रा, पिता–विंध्याचल मिश्र, सा0–बरही टोल, थाना–पंडौल, जिला–मधुबनी, द्वारा जिला खनन कार्यालय, मधुबनी द्वारा निर्गत पत्रांक–02/कैंप, दिनांक 06.11.2025 के विरूद्ध बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2024 के नियम 67(I) के अन्तर्गत दाखिल किया गया, के आलोक में उक्त वाद की कार्रवाई प्रारंभ की गई। उक्त दाखिल अपील आवेदन के आलोक में खनिज विकास पदाधिकारी, मधुबनी से तथ्यात्मक जवाब दाखिल करने का निदेश दिया गया। सुनवाई की तिथि को अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं खनिज विकास पदाधिकारी, मधुबनी उपस्थित रहे। अपीलकर्त्ता द्वारा दाखिल अपील आवेदन मुख्य अंश यह है कि यह वाद जिला खनन कार्यालय, मधुबनी द्वारा निर्गत पत्रांक 02/कैंप, दिनांक 06.11.2025 के विरूद्ध बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 के नियम 67(I) के अन्तर्गत दाखिल किया गया खनिज विकास पदाधिकारी, मधुबनी द्वारा बिना किसी वैध कारण के मात्र संदेह के आधार पर अपीलकर्ता के वाहन टिपर रजिस्ट्रेशन नंबर BR32GB5131 को दिनांक 06.11.2025 को खनन निरीक्षक, मधुबनी द्वारा लघु खनिज (स्टोन चिप्स/गिट्टी) के अवैध परिवहन के आरोप में जब्त कर लिया गया था। उक्त जब्ती उस समय की गई जब वाहन लोडिंग के बाद रैक के बगल में पार्किंग में खड़ा था, और चालक कार्यालय से वैध चालान प्राप्त करने के लिए गया था। हालांकि, दस्तावेजों का सत्यापन किए बिना या चालान का इंतजार किए बिना, खनन निरीक्षक द्वारा जबरन वाहन को जब्त कर लिया गया। स्टाफ के साथ गाली–गलौज और मारपीट की गयी, उसका मोबाइल फोन छीन लिया गया, और उसके बाद वाहन को सकरी पुलिस स्टेशन में खड़ा कर दिया गया। जब्ती के दिन अपीलकर्त्ता के पास वैध चालान उपलब्ध था और जारी किया जा रहा था। इस प्रकार, यह जब्ती मनमानी, अवैध और अधिकार क्षेत्र से बाहर थी, जो बिहार लघु खनिज समानुदान नियमावली, 2019 और बिहार खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2021 के प्रावधानों का उल्लंघन है। यह कि बिहार खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2021 के नियम 57(1) के अनुसार, सक्षम प्राधिकार (जिला पदाधिकारी) को यह शक्ति प्राप्त है कि यदि वे संतुष्ट हों कि खनिजों का परिवहन वैध रूप से किया जा रहा था या जब्ती अनुचित थी, तो वे जब्त वाहन को मुक्त कर सकते हैं। यह कि माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा समादेश याचिका वाद संख्या–1488/2025 सुशील कुमार यादव बनाम बिहार राज्य में यह अभिनिर्धारित किया है कि जहां वाहन को वैध दस्तावेजों के साथ जब्त किया गया था या जब्ती खनन नियमों के तहत उचित जांच द्वारा समर्थित नहीं थी, उसे सक्षम प्राधिकार द्वारा बिना किसी देरी के मुक्त किया जाएगा, क्योंकि मनमानी जब्ती भारत के संविधान के अनुच्छेद 300A का उल्लंघन है। माननीय न्यायालय द्वारा टिप्पणी किया गया है कि जिला पदाधिकारी, सक्षम प्राधिकार होने के नाते, वाहन को मुक्त करने के लिए बाध्य हैं जब परिवहन वैध दस्तावेजों द्वारा विधिवत समर्थित हो या जब जब्ती दुर्भावनापूर्ण प्रतीत हो। अपीलकर्त्ता का निवेदन है कि जब्ती दुर्भावनापूर्ण थी, जो अवैध लाभ वसूलने के छिपे हुए उद्देश्य से की गई थी, और इसलिए इसे रद्द किया जाना चाहिए। अपीलकर्ता को भारी वित्तीय नुकसान	

(51)

हो रहा है क्योंकि वाहन बिना किसी गलती के पुलिस स्टेशन में बेकार खड़ा है, और उस पर लदी सामग्री नष्ट होने वाली प्रकृति की है। उपरोक्त तथ्यों और निवेदनों के आलोक में, याचिकाकर्त्ता के पक्ष में टिपर वाहन पंजीकरण संख्या BR32GB5131 को उस पर लदी सामग्री (स्टोन चिप्स) के साथ तत्काल मुक्त करने का आदेश दिया जाए।

खनिज विकास पदाधिकारी, मधुबनी द्वारा अपीलकर्त्ता द्वारा दायर अपील आवेदन के संदर्भ में अपने कार्यालय पत्रांक 117/एम०, दिनांक 09.02.2026 द्वारा अपना जवाब समर्पित किया गया, जिसके द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि दिनांक 06.11.2025 को समय 12:50 बजे अपराह्न में सकरी थाना के समीप श्री दीपक कुमार महतो, खान निरीक्षक, मधुबनी के द्वारा लघु खनिजों के अवैध परिवहन की जाँच के क्रम में एक 06 चक्का हाइड्रॉलिक टिपर निबंधन संख्या–BR32GB-5131 को जाँच हेतु रोका गया एवं वाहन चालक से वाहन पर लदे लघु खनिज गिट्टी के परिवहन के लिए वैध खनिज परिवहन चालान की माँग की गई। वाहन चालक के द्वारा खनिज परिवहन का कोई भी वैध ई–चालान प्रस्तुत नहीं किया गया। इसलिए खान निरीक्षक के द्वारा उक्त वाहन जप्त कर नजदीकी थाना सकरी को सुरक्षार्थ सुपुर्द किया गया एवं इसकी एक प्रति वाहन चालाक को हस्तगत कराई गई। इस संबंध में वाहन मालिक के द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष वाहन विमुक्ति हेतु अनुरोध किया गया। तदालोक में सुनवाई के दौरान वाहन स्वामी का पक्ष सुनते हुए एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त का पालन करते हुए उनके आवेदन को इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक–1002/एम० दिनांक 16.12.2025 के द्वारा खारिज किया गया। प्रस्तुत अपीलवाद में अपीलकर्त्ता का कथन है कि उनका वाहन लोडिंग के उपरान्त रैक के किनारे खड़ा था एवं वाहन चालक चालान प्राप्त करने के लिए गया हुआ था। इस संबंध में अपीलकर्ता का उक्त कथन गलत है क्योंकि वाहन जब्ती के समय किए गए Geo-Tagged Videography के अवलोकन से स्पष्ट है कि वाहन को सकरी के पास NH–27 पर जब्त किया गया था एवं चालक वाहन में ही था। चालक से ई–चालान की मांग करने पर उनके द्वारा कोई ई–चालान प्रस्तुत नहीं किया गया बल्कि Manual चालान प्रस्तुत किया गया था, जो नियमानुसार गलत है। वाहन मालिक का कथन है कि वाहन चालक के पास वैध/ट्रांजिट परमिट मौजूद था। अपीलकर्ता के द्वारा अपील आवेदन के साथ एक ई–चालान संलग्न किया गया है, जो वाहन जब्ती के बाद निर्गत है। जब्ती के अनुसार खान निरीक्षक के द्वारा वाहन को दिनांक 06.11.2025 को समय 12:50 बजे अपराहन में सकरी थाना के समीप जब्त किया गया था। वाहन मालिक के द्वारा समर्पित चालान के अनुसार चालान निर्गत होने की तिथि एवं समय दिनाक 06.11.2025 समय 1:04 बजे अपराहन का है। इस प्रकार वाहन का खनिज परिवहन चालान वाहन जब्ती के समय के बाद निर्गत हैं। इससे स्पष्ट है कि वाहन जब्ती के समय वाहन चालक के पास कोई भी वैध चालान नहीं था एवं वाहन जब्त होने के बाद परिवहन चालान निर्गत किया गया था। यदि वाहन मालिक द्वारा समर्पित चालान को Consider कर भी लिया जाय (हालाँकि Consider करना गलत है इसलिए Consider नहीं किया जा रहा है) तो भी चालान के अनुसार वाहन पर 127.750 CFT लदे गिट्टी का चालान है जबकि वाहन जब्ती के समय जब्ती से सबंधित कागजात के अनुसार वाहन पर 180 CFT गिट्टी लदा हुआ था। इस प्रकार वाहन पर लदान क्षमता से अधिक गिट्टी लदा हुआ था। इस प्रकार से वाहन मालिक का यह दावा कि वाहन जब्ती के समय वाहन चालक के पास वैध चालान उपलब्ध था, गलत, बेबुनियाद, साक्ष्यविहीन एवं तथ्य से परे है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि बिहार खनिज समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण नियमावली 2019 यथा सशोधित, 2024 का नियम 43 एवं 56(1)(II) निम्नवत है।

> **43. परिवहन पर निषेधः–कोई भी व्यक्ति कोई अयस्क/खनिज का निकलने वाले स्थान से किसी साधन द्वारा पट्टा क्षेत्र या खनिजों के एक स्टॉक से अन्य स्थान पर इस नियमावली के अधीन सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रपत्र–छ में या विहित प्रपत्र में वैध पारगमन**

(52)

(47)

पास/चालान/ई–चालान अपने पास रखे बिना, परिवहन नहीं करेगा या करवाएगा अथवा ले जाएगा।

56. खनिजों का अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण (1)(II). कोई व्यक्ति किसी खनिज का परिवहन अथवा भंडारण बिना वैध चालान के नहीं करेगा अथवा करवाएगा। साथ ही खनिज का परिवहन अवास्तविक, अनिबधित एवं गैर वाणिज्यिक वाहन से नहीं करेगा।

इस प्रकार बिना वैध चालान के उपरोक्त जब्त वाहन के द्वारा खनिज का परिवहन किया जाना बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली 2019 यथा संशोधित, 2024 के नियम 43 एवं 56(1)(II) का उल्लघन है जो नियम 56(2) के तहत दण्डनीय है।

अतः खान निरीक्षक, मधुबनी के द्वारा उक्त वाहन को जब्त किया जाना एवं उक्त नियम 56 (2) के अनुसार ₹8,44,116.00 (आठ लाख चौवालीस हजार एक सौ सोलह) रुपये का दंड अधिरोपित किया जाना सही एवं नियम संगत है, जिसे इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 1002, दिनांक 16.12.2025 के द्वारा भी सही ठहराया गया है। उक्त जब्त वाहन के विरूद्ध अभी तक वाहन मालिक अथवा चालक के द्वारा नियमानुसार शमन शुल्क एव खनिज मूल्य की राशि जमा नहीं की गयी है। यदि दण्ड की उक्त राशि जिला खनन कार्यालय, मधुबनी मे जमा कराये बिना उक्त वाहन को विमुक्त किया जाता है तो इससे सरकार को ₹8,44,116.00 (आठ लाख चौवालीस हजार एक सौ सोलह) रुपये के राजस्व का नुकसान होगा। उपरोक्त तथ्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि बिना खनिज परिवहन चालान के खनिजो का परिवहन किए जाने के कारण वाहन को जब्त किया गया था। खनिज परिवहन से सबंधित नियमो का पालन नहीं करने के कारण अपीलकर्ता का अपील स्वीकारनीय नहीं है। उक्त के आधार पर अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज किया जाए तथा वाहन स्वामी को ₹8,44,116.00 (आठ लाख चौवालीस हजार एक सौ सोलह) रुपये दण्ड स्वरूप जिला खनन कार्यालय, मधुबनी में जमा करने का आदेश निर्गत करने की कृपा की जाय।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं खनीज विकास पदाधिकारी, मधुबनी को सुना एवं अभिलेख पर उपधारित कागजात का परिशीलन किया। यह अपील वाद अपीलार्थी दीपक कुमार मिश्रा द्वारा बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 (यथा संशोधित 2024) के नियम 67 के अंतर्गत दायर किया गया है। खनिज विकास पदाधिकारी, मधुबनी से प्राप्त प्रतिउत्तर के अनुसार, दिनांक 06.11.2025 को अपराह्न 12:50 बजे सकरी थाना के समीप खान निरीक्षक, मधुबनी द्वारा अपीलार्थी के 6 चक्का हाइड्रोलिक टिपर (वाहन संख्या–BR32GB-5131) को लघु खनिज (गिट्टी) के अवैध परिवहन के आरोप में जप्त किया गया था। खान निरीक्षक के अनुसार, जाँच के समय वाहन चालक द्वारा कोई वैध ई–चालान प्रस्तुत नहीं किया गया था। तत्पश्चात, खनिज विकास पदाधिकारी द्वारा अपीलार्थी के विमुक्ति आवेदन को खारिज करते हुए ज्ञापांक 1002/एम०, दिनांक 16.12.2025 द्वारा नियम 56(2) के तहत ₹8,44,116.00 (आठ लाख चवालीस हजार एक सौ सोलह रुपये) का दंड अधिरोपित किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि जब्ती के समय उनका वाहन लोडिंग के उपरांत रैक के किनारे पार्किंग में खड़ा था और चालक कार्यालय से वैध चालान प्राप्त करने गया था। खान निरीक्षक द्वारा दस्तावेजों का सत्यापन किए बिना, मनमाने ढंग से वाहन जप्त कर लिया गया। अपीलार्थी का दावा है कि उनके पास वैध चालान/ट्रांजिट पास उपलब्ध था, जो उन्होंने अपील के साथ प्रस्तुत किया है। माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा समादेश याचिका वाद संख्या–1488/2025 सुशील कुमार यादव बनाम बिहार राज्य में पारित न्यायादेश का संदर्भ देते हुए यह तर्क दिया गया है कि बिना समुचित जाँच के और वैध दस्तावेजों की अनदेखी कर की गई जप्ती मनमानी है और संविधान के अनुच्छेद 300A का उल्लंघन है। अतः वाहन को दंड मुक्त किया जाना चाहिए।

143

खनिज विकास पदाधिकारी, मधुबनी ने अपने पत्रांक 117/एम०, दिनांक 09.02.2026 के माध्यम से न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित तथ्यात्मक साक्ष्य प्रस्तुत किए है। वाहन रैक के किनारे नहीं, बल्कि NH-27 (सकरी के पास) पर चलते हुए जप्त किया गया था और चालक वाहन के अंदर ही मौजूद था। खान निरीक्षक द्वारा वाहन दिनांक 06.11.2025 को अपराह्न 12:50 बजे जप्त किया गया था। जबकि अपीलार्थी द्वारा जो ई-चालान प्रस्तुत किया गया है, उसकी निर्गत तिथि 06.11.2025 अपराह्न 1:04 बजे की है। स्पष्टतः यह चालान जप्ती होने के 14 मिनट बाद जेनरेट किया गया है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत विलंबित चालान में 127.750 CFT गिट्टी दर्ज है, जबकि जप्ती सूची के अनुसार वाहन पर भौतिक रूप से 180 CFT गिट्टी लदा था, जो वाहन की वैध लदान क्षमता से मेल नहीं खाता है। अपीलार्थी का यह बचाव कि वाहन रैक के किनारे खड़ा था, जियो-टैग वीडियोग्राफी से असत्य प्रमाणित होता है। परिवहन के समय दिनांक 06.11.2025 को 12:50 बजे चालक के पास कोई वैध ई-चालान नहीं था। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत ई-चालान जप्ती की कार्रवाई के 14 मिनट बाद (अपराह्न 1:04 बजे) निर्गत किया गया है। नियम 43 एवं 56(1)(II) के तहत यह विधिक अनिवार्यता है कि परिवहन शुरू होने से पूर्व और परिवहन के दौरान वैध चालान का वाहन में होना आवश्यक है। पकड़े जाने के बाद (Afterthought के रूप में) चालान जेनरेट करना जप्ती के समय किए गए अपराध (अवैध परिवहन) को विधिक रूप से शून्य नहीं कर सकता है। अपीलार्थी द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय के जिस न्यायादेश (समादेश याचिका वाद संख्या-1488/2025) का हवाला दिया गया है, वह उन मामलों पर लागू होता है जहाँ परिवहन वैध दस्तावेजों द्वारा विधिवत समर्थित हो। प्रस्तुत वाद में अपीलार्थी के पास परिवहन के समय (At the time of interception) कोई वैध दस्तावेज नहीं था। अतः उक्त न्यायादेश का लाभ अपीलार्थी को प्राप्त नहीं हो सकता है। बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 (यथा संशोधित 2024) के नियम 56(2) के अंतर्गत बिना वैध चालान के खनिज का परिवहन एक दंडनीय अपराध है। खनिज विकास पदाधिकारी द्वारा निर्धारित शमन शुल्क एवं खनिज मूल्य ₹8,44,116.00 नियमावली के प्रावधानों के पूर्णतः अनुरूप एवं न्यायसंगत है।

अतः, उपर्युक्त विधिक निष्कर्षों, साक्ष्यों और खनिज विकास पदाधिकारी के प्रतिवेदन के आलोक में, यह अपील वाद आधारहीन, तथ्यहीन एवं बलहीन पाया जाता है। तदनुसार, खनिज विकास पदाधिकारी, मधुबनी द्वारा पारित आक्षेपित आदेश ज्ञापांक-1002/एम०, दिनांक 16.12.2025 एवं पत्रांक-02/कैंप, दिनांक 06.11.2025 को यथावत रखा जाता है तथा अपीलार्थी दीपक कुमार मिश्रा की अपील को पूर्णतः खारिज किया जाता है। अपीलार्थी को यह निर्देशित किया जाता है कि वे नियमानुसार अधिरोपित दंड राशि ₹8,44,116.00 (आठ लाख चवालीस हजार एक सौ सोलह रुपये) अविलंब जिला खनन कार्यालय, मधुबनी में जमा करें। दंड राशि जमा होने के उपरांत ही वाहन (BR32GB-5131) को विमुक्त करने की कार्रवाई की जाए। खनिज विकास पदाधिकारी, मधुबनी को निदेश दिया जाता है कि यदि अपीलकर्त्ता द्वारा उक्त राशि जमा नहीं किया जाता है तो अपीलकर्त्ता के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। तदनुसार, यह अपील वाद अस्वीकृत करते हुए निष्पादित किया जाता है।

(लेखापित एवं संशोधित)

जिला पदाधिकारी,
मधुबनी।

जिला पदाधिकारी,
मधुबनी।

Homeexam — (44)

जय प्रकाश नारायण एपेक्स ट्रॉमा सेन्टर/JAI PRAKASH NARAYAN APEX TRAUMA CENTRE

अ० भा० आ० वि० सं०/A. I. I. M. S.

अनुसरण बहिरंग रोगी विभाग / Follow-up Out Patient Department

Unit: Deptt.: Clinic: TC No.

UHID:

Name	F / S	Address
4A/01	UHID: 108366375 ABHA Dept No: 20251780009823 PRASHANT KUMAR S/O rAJEEV CHAUDHARY 26Y 9M 14D / M पुरुष NAGWAH, MADHUBANI BHAR 847222 BHAR, INDIA Mob: 7877929007 General Rs 0 New Patient संख्या / Queue 0 कमरा / Room: 111-A UNIT-A TRAUMA ORTHO Dr. Vijay Sharma MON, WED सोम, बुध Registration time: 27/10/2025 11:38:53 AM	

Diagnosis 7903246848

Date 9973030110

Treatment

Home Lajpat Nagar Delhi

Place

O/c/o Distal femur fracture

C/D/w Vijay Sharma sir (R) → 19/03/2025

Plan. Bone grafting + Medial plate +/- BMP.

To give early date.

Sr/Jrsam.

Meet Prakash TC7

To try on 3/12/25 for bed

Try on 16/11/25 last

To try on 21/11/25 for Adm in TC7 depends on beds

कृपया अगले अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें / FOR NEXT APPOINTMENT PLEASE CALL : 011-26731237 & 011-26731283

अस्पताल के अन्दर धूम्रपान मना है / SMOKING PROHIBITED IN HOSPITAL PREMISES

(75)

12/01/2026

- o/c/o (L) Distal femur. - outside
Calun plan was to g/o.

Now no pain

Adv

1) (L) Distal femur < PD Ca

2) Limited NCT (L) Distal femur
for union.

- To review in RC on 14/01/2026
8.30am, Room NO: 62

Sr/Dr Jusam

RC 14/01

- no union

- Specimen + Medi plate + BG + BMP

C/D/W Viny Sh
Sir
→ To admit on
1/02/2026

Review at - RC 7, JPNATC, 8.30am

146/[illegible]

MEDICAL RECORD

NOTE DATED: 02/04/2026 11:56
LOCAL TITLE: ORTHOPEDICS DISCHARGE NOTE
ADMITTED: 02/01/2026 16:01 TC4-A

"Unless otherwise specified all dates mentioned in this note are in the format MM/DD/YYYY"

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
FOR ANY QUERIES /FEEDBACK /EVERY APPOINTMENT KINDLY CONTACT OUR 24 X 7
011-2673128[illegible], 011- 26731283

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DEPARTMENT OF ORTHOPEDICS
JPN APEX TRAUMA CENTRE, ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES

DISCHARGE SUMMARY

TC.No. -108-36-6375 UNIT :- ORTHO-A

Patient Name: KUMAR ,PRASHANT AGE:27 SEX:MALE
[illegible]:-
ABHA ID NUMBER : NO(COMMENTS):0
DOA:Feb 1,2026@13:00;DOO(1):;
[illegible]:;DODischarge:Feb 4,2026@13:00
ADDRESS : [illegible]AGWAH, MADHUBANI BIHAR 847222
, DL

Bed No:TC4-A/1

[illegible] DR:Asjad Mahmood UNIT : ORTHO-A
[illegible] RES DR:

[illegible] :

[illegible] FEMUR NON UNION

[illegible] EXAMINATION

[illegible] CASE OF LEFT DISTAL FEMUR FRACTURE
[illegible] DONE ON 19/03/2025 ELSEWHERE

[illegible] OCCASIONAL LEFT KNEE PAIN
[illegible]

[illegible] WELL WITH SECONDARY ATTENTION

[illegible] NEXT PAGE **

(47)

24 x 7 अपॉइंटमेंट के लिए - 011-26731237, 26731283
जय प्रकाश नारायण एपेक्स ट्रॉमा सेन्टर (अ.भा.आ.सं.)

MEDICAL RECORD

02/04/2026 11:56 ** CONTINUED FROM PREVIOUS PAGE **

NO SWELLING
NO TENDERNESS
NO DEFORMITY
NO CREPITUS
NO ABNORMAL MOBILITY

RADIOLOGY

X-RAY AND CT SUGGESTIVE OF ELFT DISTAL FEMUR NON UNION

COURSE IN HOSPITAL

Uneventful

ADVICE ON DISCHARGE

TO FOLLOW UP IN TC7 WARD AT 9 AM ON SUNDAY 15/02/2026 FOR POSSIBLE ADMISSIONS DEPENDING ON BEDS

PT EXPLAINED THE NEED FOR SURGERY. THEY WERE EXPLAINED THE LACK OF BEDS AND WERE REFERRED TO OTHER GOVT. HOSPITAL OR ANY HOSPITAL OF THEIR CHOICE IN CASE IF THEY WISH TO GET TREATED FROM AIIMS, THEY WERE EXPLAINED OF THE WAITING LIST AND POSSIBILITY OF DELAY WHICH MIGHT NEGATIVELY INFLUENCE THE OUTCOMES OF THE SURGERY.

VERY IMPORTANT NOTE:-

APPOINTMENT SHOULD BE TAKEN FOR OPD VISIT BY DIALING 011-26731237, 011-[illegible]
[illegible] DATE WILL NOT BE CONFIRMED.
[illegible] WITH OUT TELEPHONIC APPOINTMENT THROUGH [illegible]

[illegible]

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX [illegible] APPOINTMENT KINDLY CONTACT [illegible]

[illegible]

KUMAR , PRASHANT
108-26-6375

AIIMS
[illegible]

JAI PRAKASH NARAYAN APEX TRAUMA CENTRE (A.I.I.M.S.)
24 X 7 FOR APP[illegible]TMENT 011-26731237, 26731283

जय प्रकाश नारायण एपेक्स ट्रॉमा सेन्टर/JAI PRAKASH NARAYAN APEX TRAUMA CENTRE

अ० भा० आ० वि० सं०/A. I. I. M. S.

अनुसरण बहिरंग रोगी विभाग / Follow-up Out Patient Department

Unit: De|

UHID:

Name

UHID: 108366375
ABHA:
Dept No: 20251760009623

PRASHANT KUMAR

S/O rAJEEV CHAUDHARY
27Y 2M 26D / M पुरुष
NAGWAH, MADHUBANI BIHAR 847222, BIHAR, INDIA
Mob: 7677929007 General Rs. 0
Follow Up Patient

Clinic:
संख्या / Queue 0
कमरा / Room: 104A
UNIT-A
TRAUMA ORTHO
Dr Siva Srivastav G
MON, WED
सोम,बुध
Registration time:
08/04/2026 03:39:44 PM

TC No.

No.	Address

Diagnosis

Date

Treatment

(L) d/e Non union d/e femur

DOSx: 3/3/26.

Medial plate → BG + RIA

Adv.

A ROM
Isometric Quads
(152)
Active SLR
Partial wt bearing 25% increment every week → and more

06/05/2026 2PM
Serve... make ...

→ Tab Ultracet SOS
T. Calcirol XOD
T. Bonmint 800mg XOD
T. Uprise D3 60K/wk
T. ... C XOD. → T. vit C XOD
X-ray

कृपया अगले अपॉईटमेंट के लिए कॉल करें / FOR NEXT APPOINTMENT PLEASE CALL : 011-26731237 & 011-26731283

अस्पताल के अन्दर धूम्रपान मना है / SMOKING PROHIBITED IN HOSPITAL PREMISES

→ R/A ...

UHID: 108366375
ABHA:

Dept No: 20251760009623

PRASHANT KUMAR

S/O rAJEEV CHAUDHARY
27Y 3M 24D / M पुरुष
NAGWAH, MADHUBANI BIHAR 847222.
BIHAR, INDIA
Mob: 7677929007 General Rs. 0
Follow Up Patient

संख्या / Queue 10
कमरा / Room: 104A
UNIT-A
TRAUMA ORTHO

Dr. Siva Srivastav G

MON, WED
सोम, बुध

Registration time:
06/05/2026 02:08:39 PM

(40)

Adv
- W+bearing walking c stick.
Isometric Quads
Active SLR

(152)

- CST x 1 month

- R/A 1 month

6/5/26
PT-152 Manish

10/06/26
1.30 P.M

BEFORE,

MINES COMMISSIONER, PATNA

Appeal Case No. ………….. of 2026

Deepak Kumar Mishra ………….Appellant

Versus

The State of Bihar & Others. …….Respondents

INDEX

SI.NO.	***PARTICULARS***	***PAGES***
1.	An Appeal with Affidavit and I.D. Card.	1-15
2.	***Annexure-1*** A photo copy of letter dated 06.11.2025	16
3.	***Annexure-2*** A photo copy of the representation dated 08.11.2025 along with prepaid challan dated 06.11.2025	17-19
4.	***Annexure-3*** A photo copy of show cause letter dated 04.12.2025	20
5.	***Annexure-4*** A photo copy of the reply to the show cause dated 10.12.2025	21-27
6.	***Annexure-5*** A photo copy of letter dated 16.12.2025	28

7.	***Annexure-6*** A photo copy of the Mining Appeal Case No. 117/2025-26	29-37
8.	***Annexure-7*** A photo copy of the reply dated 09.02.2026	38-39
9.	***Annexure-8*** A photo copy of order dated 10.03.2026 passed in Mining Appeal Case No. 117/2025-26	40-43
10.	***Annexure-9*** A photo copy of the Medical Report from 21.11.2026 to 02.04.2026	44-49
	VAKALATNAMA	

BEFORE,

MINES COMMISSIONER, PATNA

Appeal Case No. ………….. of 2026

In the matter of an Appeal under Section 67 of Bihar Mineral (Concession, Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2019.

AND

In the matter of;

Deepak Kumar Mishra, Male, aged about 48 years, son of Vindhyachal Mishra, Resident of Village- Barhi Tola Pandaul, P.S. Pandaul, District- Madhubani (Bihar)

……………***Appellant***

VERSUS

1. The State of Bihar through the Secretary, Department of Mines and Geology, Government of Bihar, Patna.

2. The Secretary-cum-Mines Commissioner, Department Of Mines and Geology, Government of Bihar, Patna.
3. The State Transport Commissioner, Department of Transport, Government of Bihar, Vishweswaraiya Bhawan, 1st Floor, Bailey Road, Patna.
4. The District Magistrate, Madhubani.
5. The Superintendent of Police, Madhubani.
6. The Mineral Development Officer, Madhubani.
7. The District Mining Officer, Madhubani.
8. The Mining Inspector, Madhubani
9. The Officer-In-Charge, Police Station- Pandaul, District- Madhubani.

...Respondents

The humble Appeal on behalf of the above named Appellant.

<u>MOST RESPECTFULLY SHEWETH:-</u>

1. (i) That the instant Appeal is being filed challenging the order dated 10.03.2026 passed in Mining Appeal Case No. 117/2025, whereby and whereunder the Appeal filed by the Appellant challenging the order passed by the Mining Inspector, Madhubani whereby and where under

penalty of Rs. 8,43,116/- has been inflicted against the Appellant under Rule-56(2) of the Bihar Mineral (Concession, Prevention, Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2019 and under Amended Rules, 2024 for violating Rule-11, 43, 56(1) of the Mining Rules and along with imposing penalty, the authorities have also seized the vehicle of the Appellant.

(ii) For setting aside the fine imposed against the Appellant by the Mining Officer, Madhubani to the tune of Rs. 8,43,116/- vide letter No. 2 dated 06.11.2025, which has been issued against the Appellant without issuing show cause notice to the Appellant in violation of principles of natural justice

(iii) For any other relief/reliefs for which the Appellant is entitled to.

2. That to appreciate the gravamen of the controversy exposition of facts in brief is necessitous.
3. That the factual matrix of the instant case is that the vehicle in question is a Commercial transport vehicle belonging to the Appellant having Registration No. BR-32GB 5131 (6 Wheeler Tipper) engaged in lawful carriage work.

4. That on 06.11.2025 at about 12:50 p.m. near Sakri, NH-27, when the vehicle of the Appellant was standing at approach road of Sakri Rack point of K.S. License Holder, where the vehicle of the Appellant after been loaded by the stone chips was parked and the driver had gone for taking challan from the K.S. License Holder, then the Mining Inspector, Madhubani, forcefully seized the vehicle of the Appellant and also abused and assaulted the staff and snatched his mobile phone without verifying the documents or without waiting for the challan.
5. That after seizing the vehicle, the vehicle of the Appellant was taken to Sakri Police Station inspite of repeated request of the staff of the Appellant that they are producing the challan issued by competent authority which the driver had gone to get from the K.S. License Holder office, but without adhering to the request of the staff of the Appellant and without issuing any show cause, the Mining Inspector, Madhubani issued letter No. 2 dated 06.11.2025 thereby seizing the vehicle of the Appellant under Section-11(43), 56(1) and 56(2) of the Mining Rules, 2019 and amended Rules, 2024.

A photo copy of letter dated 06.11.2025 is annexed herewith and Marked as ***Annexure-1*** to this Appeal.

6. That by letter dated 06.11.2025, not only the vehicle of the Appellant was seized but also a penalty of Rs. 8,43,116/- was imposed against the petitioner.
7. That immediately, thereafter the Appellant being aggrieved by the penalty order dated 06.11.2025, submitted a representation before the Collector-cum-Public Grievance Redressal Authority, Madhubani on 08.11.2025, raising the arbitrary action of the Mining Inspector who seized the vehicle of the Appellant and also imposed fine of Rs. 8,43,116/- and by the said representation, the Appellant submitted a brief synopsis of the relevant facts and along with the said representation, the Appellant had also provided copy of the Prepaid Challan issued by the concerned authority on 06.11.2025 itself at 01:04:06 P.M. itself along with other documents of the vehicle.

A photo copy of the representation dated 08.11.2025 along with prepaid challan dated 06.11.2025 is annexed herewith and Marked as ***Annexure-2*** to this Appeal.

8. That it is relevant to state here that the vehicle of the Appellant was seized on 06.11.2025 by the Mining Inspector, Madhubani at 12:50 P.M. and without waiting for the challan to be produced by the driver

of the petitioner, the concerned authority in haste had issued order dated 06.11.2025 directing the vehicle of the Appellant to be seized and also imposing fine against the petitioner. The Mining Inspector had issued the letter dated 06.11.2025 without giving any opportunity to the Appellant and without issuing any show cause notice, the vehicle of the Appellant was seized and the fine was imposed against the petitioner.

9. That it is after the Appellant represented before the District Magisrtrate-cum-Public Grievance Redressal Authority, Madhubani, it is then for the first time, the District Mining Officer, Madhubani issued show cause letter to the Appellant on 04.12.2025 asking explanation.

A photo copy of show cause letter dated 04.12.2025 is being annexed herewith and Marked as ***Annexure-3*** to this Appeal.

10. That thereafter the Appellant submitted his reply to the show cause on 10.12.2025 before the District Mining Officer, Madhubani taking a point wise defense reply.

A photo copy of the reply to the show cause dated 10.12.2025 is

being annexed herewith and Marked as ***Annexure-4*** to this Appeal.

11. That thereafter the Appellant was in receipt of a letter dated 16.12.2025 issued by District Mining Officer, Madhubani for giving written evidence on affidavit in support of the allegation leveled by the Appellant against the Mining Inspector as well as the Mining Officer of demanding bribe and it was communicated to the Appellant by the said letter that after submission of the concerned affidavit, further action will be taken in the matter of the petitioner.

A photo copy of letter dated 16.12.2025 is being annexed herewith and Marked as ***Annexure-5*** to this Appeal.

12. That thereafter the Appellant left with no option, preferred Mining Appeal vide Mining Appeal Case No. 117/2025-26 on 22.12.2025 before the Collector, Madhubani making a request for release of vehicle and also for quashing of the seizure made by the Mining Inspector vide order dated 06.11.2025.

A photo copy of the Mining Appeal Case No. 117/2025-26 is

being annexed herewith and Marked as ***Annexure-6*** to this Appeal.

13. That in the Appeal filed by the petitioner, the District Mining Officer, Madhubani submitted his reply reiterating the same stand taken by the Mining Inspector and did not submit any reply to the defence taken by the petitioner.

A photo copy of the reply dated 09.02.2026 is annexed herewith and Marked as ***Annexure-7*** to this Appeal.

14. That the Appellate Authority without considering the stand taken by the Appellant passed a mechanical order dated 10.03.2026 and upheld the decision taken by the Mining Inspector and accordingly the appeal filed by the Appellant was rejected and it was directed that the vehicle of the Appellant will be released only when the Appellant deposit the entire amount as disclosed in the order passed by the Mining Inspector dated 06.11.2025.

A photo copy of order dated 10.03.2026 passed in Mining Appeal Case No. 117/2025-26 is

annexed herewith and Marked as ***Annexure-8*** to this Appeal.

15. That from above, it is evidently clear that the Respondent Authorities starting from the Mining Officer till the level of Collector have not appreciated this fact that the penalty order dated 06.11.2025 has been passed without any application of mind and in utter abuse of the power vested upon the authority. The order dated 06.11.2025, by which, penalty has been inflicted against the Appellant under Rule-56(2) of the 2019 Rules has been passed against the Appellant for violating Rule-11, 43, 56(1) of the 2019 Rules, whereas, no case is made out under such Rules against the Appellant as the Appellant on 06.11.2025 itself, a valid E-challan was presented by the driver of the Appellant before the Mining Inspector but he refused to acknowledge and without giving any opportunity to the Appellant, straight away order dated 06.11.2025 was passed by the Mining Inspector, Madhubani.

16. That it is further relevant to state here that Section-56(1) is regarding unauthorized mining concerning a person found to be extracting or removing minor minerals, whereas, in the instant case beyond stretch of any imagination no case under Rule-56(1) of Mining Rules is made out against the Appellant or his driver. It is an admitted position that the vehicle of the Appellant was standing near the rack point at

approach road of Sakri Rack point of K.S. License Holder and after the vehicle been loaded by the stone chips were parked and the driver has gone to take the challan from the K.S. License Holder, it is then the Mining Inspector forcefully seized the vehicle and took the vehicle through his own driver to the Sakri Police Station forcefully and in that process when the cleaner of the vehicle of the Appellant requested the Mining Inspector that the driver has gone to the rack point for taking challan, then the Mining Inspector abuse and assaulted the cleaner and snatched his mobile phone and switched of his mobile and took the vehicle.

17. That the respondent authorities have failed to appreciate that the penalty order dated 06.11.2025 has been passed without application of mind as Section-11 and Section-43is concerning prohibition on mining operation without permit or mining lease whereas, in the instant case, the Appellant driver was carrying stone chips with a valid Challan.

18. That there has been a delay of 8 days which is not intentional as the Appellant was involved in taking care of her Nephew (Bhagina) Prashant Kumar who had met with a serious accident and was in critical condition, for which he was admitted at Delhi AIIMS in the month of November, 2025, where he underwent critical surgery and thereafter he was required to be taken for regular follow up at AIIMS

itself till the month of March, 2026. The Appellant being the guardian as well as the care taker was involved in the treatment of his nephew and therefore, there was delay in approaching the lawyer and in the month of April, 2026, the Appellant contacted his lawyer who after thorough discussion prepared the Appeal.

A photo copy of the Medical Report from 21.11.2026 to 02.04.2026, are being annexed herewith and Marked as ***Annexure-9*** to this Appeal.

19. That it is therefore, humbly requested that the delay is not intentional rather it is on account of bonafide reasons, the Appeal could not be filed earlier.

20. That the Appellant has got a good case and balance of convenience lies in the favour of the Appellant.

Being aggrieved by and dissatisfied with the order dated 10.03.2026 passed in Mining Appeal Case No. 117/2025-26 along with the demand notice 06.11.2025 contained in Letter No. 2, the Appellant named above begs to prefer this Appeal on amongst the followings :

GROUNDS :-

a. For that the action of the respondent authorities are malafide, arbitrary, without jurisdiction and abuse of power vested in them.

b. For that the action of the respondent Authorities are Violative of principles of natural justice.

c. For that the action of the respondent authorities are Violative of Article-14, 21 of the Constitution of India.

d. For that the action of the respondent authorities are nothing but colourable exercise of power.

e. For that the Collector, Madhubani has failed to appreciate that no offence is made out against the Appellant under-2019 Rules.

f. For that the Collector, Madhubani as well as the Mining Inspector, Madhubani has failed to appreciate that it is not a case of illegal mining and Section-56(1) of 2019 Rules has no application in the instant case.

g. For that the respondent authorities have failed to appreciate that the penalty order dated 06.11.2025 has been passed without application of mind as Section-11 and Section-43is

concerning prohibition on mining operation without permit or mining lease whereas, in the instant case, the Appellant driver was carrying stone chips with a valid Challan.

h. For that the demand of interest is otherwise bad in the eye of law.

It is, therefore, prayed that your Lordships may graciously be pleased to admit this appeal, issue notice and after final hearing of the appeal be further pleased to set aside the order of the Collector dated 10.03.2026 passed in Appeal Case No. 117/2025-26 along with demand notice dated 06.11.2025 contained in Letter No. 02, so far as penalty of Rs. 8,43,116/- has been raised against the Appellant.

AND/OR

Pass such other order/orders as your Lordships may deem fit and proper in the facts and circumstances of this case.

And for this the Appellant shall ever pray.

AFFIDAVIT

I, Deepak Kumar Mishra, Male, aged about 48 years, son of Vindhyachal Mishra, Resident of Village- Barhi Tola Pandaul, P.S. Pandaul, District- Madhubani (Bihar), do hereby solemnly affirm and state as follows:-

1. That I am Appellant in this case and as such I am well acquainted with the facts and circumstances of this case.
2. That the contents of this application I have been read over and explained to me in Hindi which I have fully understood the same and they are true to my knowledge and belief.
3. That the statements made in paragraphs No...3, 4, 6, 8, 16, 17, 19........ are true to my knowledge and those made in paragraphs No. 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18 are true to my information derived from the relevant records of this case and rests are by way of submissions before this Hon'ble Court.
4. That the annexures are true copies of their respective originals.

Annexure-1 (16)

Annexure – P/4 (17)

जिला खनन कार्यालय, मधुबनी

पत्रांक 02 कैम्प/एम0. दिनांक 06/11/2025।

प्रेषक,

खान निरीक्षक,
मधुबनी।

सेवा में,

थानाध्यक्ष,
[illegible] थाना
जिला–मधुबनी।

विषयः– छापेमारी के दौरान लघु खनिज से लदे जब्त वाहन/वाहनों को लघु खनिज सहित अगले आदेश तक अभिरक्षा में रखने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि दिनांक 06/11/25 को समय 12:50 AM बजे पूर्वा0/अप0 में [illegible] थाना/ओ0पी0 अन्तर्गत से अवैध खनन एवं परिवहन के रोकथाम हेतु बिना वैध चालान/चालान में अंकित मात्रा से अधिक (ओवरलोड) लघु खनिज यथा–बालू/पत्थर/ मोरम/मिट्टी/डस्ट से लदे वाहन/वाहनों को जब्त किया गया, जिसकी विवरणी निम्न हैः–

क्र0	जब्त वाहनों का निबंधन संख्या एवं प्रकार	लघु खनिज का नाम एवं मात्रा	वसूलनीय शमन शुल्क एवं खनिज मूल्य की राशि	अभ्युक्ति
01)	BR32GB5131 (6 wheeler Tipper)	Gitti 180 cft Approx.	₹ 8,43,116/- आठ लाख [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] रुपये मात्र।	बिना चालान बिना [illegible]

उपरोक्त जब्त वाहनों के स्वामी/चालक के द्वारा बिहार खनिज (समानुदान अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली 2019 यथा संशोधित नियमावली, 2024 के नियम 11, 43, 56(1) का उल्लंघन है जो नियम 56(2) के तहत दंडनीय है।

अतः उपरोक्त जब्त वाहनों के मालिक/चालक पर नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करने तक आपके थाना परिसर में लघु खनिज सहित जब्त वाहन/वाहनों को सुरक्षित अभिरक्षा में रखने हेतु आपको हस्तगत कराया जाता है।

विश्वासभाजन,
Deepak 06/11/25
खान निरीक्षक,
मधुबनी।

ज्ञापांक 02 /एम0, मधुबनी दिनांक 06/11/25

प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी महोदय, मधुबनी को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपिः– जिला परिवहन पदाधिकारी, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– वाहन मालिक/चालक को सूचनार्थ एवं सूचित करना है कि एक माह के अन्दर खनिज मूल्य एवं शमन शुल्क का भुगतान नहीं किये जाने की स्थिति में बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) (संशोधन) नियमावली 2021 के नियम 56(4) एवं 56(7) के तहत जब्त सामग्री को समाहर्त्ता महोदय के द्वारा राज्यसात् (Confiscate) कर नीलामी (Auction) की कार्रवाई की जायेगी।

Deepak

Annexure-2 (17)

Annexure-P/2 (18)

सेवा में,

जिला पदाधिकारी सह लोक शिकायत पदाधिकारी,

मधुबनी, बिहार।

विषय: खनन निरीक्षक दीपक तथा जिला खनन पदाधिकारी संतोष द्वारा अवैध रूप से वाहन जप्त करने, मारपीट करने एवं रिश्वत मांगने के संबंध में शिकायत।

महोदय,

मैं दीपक कुमार मिश्रा, निवासी बरही टोला पाण्डौल थाना पाण्डौल, जिला मधुबनी, अत्यंत विनम्रतापूर्वक यह शिकायत आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि दिनांक 06.11.2025 को जिला खनन कार्यालय, मधुबनी के पदाधिकारी — खनन निरीक्षक श्री दीपक द्वारा मेरे वाहन संख्या BR32GB5131 (6 Wheeler Tipper) को, जिसमें गिट्टी (Stone Chips) लदा हुआ था, अवैध रूप से जप्त कर लिया गया, जबकि परिवहन पूर्णतः वैध था।

घटना की वास्तविक स्थिति यह थी कि मेरा वाहन लोडिंग के बाद रैक के बगल में पार्किंग में खड़ा था, और चालान बनवाने हेतु मेरा ड्राइवर कार्यालय गया हुआ था। इसी दौरान खनन निरीक्षक श्री दीपक उनके ड्राईवर वो दो तीन अन्य लोग जो दीपक जी के साथ थे वहाँ पहुँचे और मेरे स्टाफ के साथ गाली-गलौज एवं मारपीट की, उसका मोबाइल फोन छीन लिया, स्विच ओफ़ कर दिया तथा बिना कुछ सुने जबरन वाहन को जप्त कर लिया और उसे अपने ड्राईवर से सकरी थाना में खड़ा करा दिया।और फिर मोबाइल वापस कर दिया गया एवं बताया गया कि मधुबनी जाकर संतोष जी से मेलें

इसके पश्चात दोनों पदाधिकारियों — खनन निरीक्षक श्री दीपक एवं जिला खनन पदाधिकारी श्री संतोष — ने वाहन छोड़ने के लिए रिश्वत की माँग की और धमकी दी कि यदि राशि नहीं दी गई तो वाहन को खनन नियमों के अंतर्गत जब्त (Confiscate) कर लिया जाएगा। एवं खनन नियमावली के आड़ में इतना धारा और जुर्माना लगाएँगे कि बर्बाद हो जाओगे।

दोनों अधिकारियों का यह कृत्य पद के दुरुपयोग, भ्रष्टाचार, मारपीट एवं बिहार लघु खनिज नियमावली, 2019 तथा बिहार खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की

रोकथाम) नियमावली, 2021 का गंभीर उल्लंघन है। इससे प्रशासन की साख धूमिल होती है तथा ईमानदारी से कार्य करने वाले परिवहनकर्ताओं का उत्पीड़न होता है।

अतः आपसे सविनय अनुरोध है कि कृपया—

1. इस प्रकरण की निष्पक्ष एवं त्वरित जाँच कराई जाए।
2. जप्ती के समय की वास्तविक परिस्थितियों एवं वैध चालान के दस्तावेजों की सत्यता की जाँच की जाए।
3. खनन निरीक्षक श्री दीपक एवं जिला खनन पदाधिकारी श्री संतोष के विरुद्ध विभागीय एवं दंडात्मक कार्रवाई की जाए।
4. मेरे वाहन संख्या BR32GB5131 एवं उस पर लदे खनिज सामग्री को शीघ्र रिहा करने का निर्देश दिया जाए, क्योंकि परिवहन वैध था।
5. भविष्य में ऐसे पदाधिकारियों द्वारा शक्ति का दुरुपयोग एवं ईमानदार नागरिकों का उत्पीड़न रोकने हेतु कठोर प्रशासनिक कदम उठाए जाएँ।

आपके न्यायोचित एवं त्वरित हस्तक्षेप की अपेक्षा है और मैं महोदय का सदा आभारी रहूँगा।

Deepak
08/11/25

(हस्ताक्षर)

दीपक कुमार मिश्रा
बरही टोला पाण्डौल थाना
पाण्डौल, जिला मधुबनी
मोबाइल नं.: 9122707172

दिनांक: 08.11.2025

स्थान: मधुबनी

संलग्नक:

1. जप्ती प्रतिलिपि (दिनांक 06.11.2025)
2. वैध चालान की प्रति

अनुज्ञप्तिधारी की कॉपी — प्रिंट दिनांक : 06 Nov 2025 01:04:10 PM

Prepaid Challan
खनिज अभिवहन पास / चालान (प्रीपेड)
खान एवं भूतत्व विभाग
बिहार सरकार

122154952412

यूआईडी	: 122154952412 — एआईडी : F102500422
चालान / पास नं.	: 262921251106010406127
1.अनुज्ञप्तिधारी का नाम और स्थान	: MS RS STONE PARTNER AMRESH KUMAR,SAKRI
2.अनुज्ञप्ति संख्या	: K-MADHUBANI/10/2025
3.अनुज्ञप्तिधारी का जिला	: MADHUBANI
4.अनुज्ञप्तिधारी का मोबाइल नंबर	: 7857014414
5.इस चालान के जारी करने की तारीख और समय	: 06 Nov 2025 01:04:06 PM
6.चालान अवधी समाप्ति की तारीख / समय	: 06 Nov 2025 7:04:06 PM
7.खनिज का नाम	: STONE-STONE(CHIPS)-No Size
8.खनिज का वजन (MT में)	: 5.110
9.खनिज की मात्रा (Cft में)	: 127.750
10.ग्राहक का नाम	: PARVASH KUMAR
11.ग्राहक का मोबाइल नंबर	6200666543
12.वाहन का गंतव्य स्थान	: RAHIKA HIGH SCHOOL DISTRICT : MADHUBANI STATE : BIHAR थाना : Rahika प्रखंड : RAHIKA
13.वाहन संख्या	: BR32GB5131
14.वाहन के प्रकार	: Truck/ChassisNo-MAT786001N8A*****

चालक की कॉपी
प्रिंट दिनांक : 06 Nov 2025 01:04:10 PM

Prepaid Challan
खनिज अभिवहन पास / चालान (प्रीपेड)
खान एवं भूतत्व विभाग
बिहार सरकार

122154952412

यूआईडी	: 122154952412 — एआईडी : F102500422
चालान / पास नं.	: 262921251106010406127
1.अनुज्ञप्तिधारी का नाम और स्थान	: MS RS STONE PARTNER AMRESH KUMAR,SAKRI
2.अनुज्ञप्ति संख्या	: K-MADHUBANI/10/2025
3.अनुज्ञप्तिधारी का जिला	: MADHUBANI
4.अनुज्ञप्तिधारी का मोबाइल नंबर	: 7857014414
5.इस चालान के जारी करने की तारीख और समय	: 06 Nov 2025 01:04:06 PM
6.चालान अवधी समाप्ति की तारीख / समय	: 06 Nov 2025 7:04:06 PM
7.खनिज का नाम	: STONE-STONE(CHIPS)-No Size
8.खनिज का वजन (MT में)	: 5.110
9.खनिज की मात्रा (Cft में)	: 127.750
10. ग्राहक का नाम	: PARVASH KUMAR
11.ग्राहक का मोबाइल नंबर	: 6200666543
12.वाहन का गंतव्य स्थान	: RAHIKA HIGH SCHOOL DISTRICT : MADHUBANI STATE : BIHAR थाना : Rahika प्रखंड : RAHIKA
13.वाहन संख्या	: BR32GB5131
14.वाहन के प्रकार	: Truck/ChassisNo-MAT786001N8A*****

Annexure-3

Annexure-112 (20) (21)

जिला खनन कार्यालय, मधुबनी

ज्ञापांक–?70 / एम0, मधुबनी, दिनांक–04 / 12 / 2025 ई0।

प्रेषित,

अधीरा हाउसिंग,
प्रो0–श्री दीपक कुमार मिश्रा,
प्लॉट नं0–12, इंडस्ट्रीयल एरिया, पंडौल
जिला–मधुबनी।
पिन कोड–847234
मो0–9122707172

विषय :– **सकरी थाना में दिनांक–06.11.2025 को जब्त आपका वाहन निबंधन सं0–BR32GB-5131 (छः चक्का हाईड्रोलिक टीपर) के द्वारा लघु खनिज गिट्टी के अवैध परिवहन के लिए लगाए जाने वाले दण्ड हेतु सुनवाई में उपस्थित रहने एवं अपना पक्ष रखने के संबंध में।**

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक–06.11.2025 को लघु खनिज गिट्टी (180 CFT) के अवैध परिवहन (बिना चालान) के कारण आपके वाहन निबंधन सं0–BR32GB-5131 (छः चक्का हाईड्रोलिक टीपर), चेसिस सं0–MAT786001N8A01823 एवं इंजन सं0–3 3LNGD06AXX501696 को खान निरीक्षक, मधुबनी के द्वारा जब्त कर सकरी थाना में सुरक्षार्थ रखा गया था एवं ₹8,43,116/- (आठ लाख तैंतालीस हजार एक सौ सोलह) रुपये का दण्ड अधिरोपित किया गया था।

यदि अधिरोपित दण्ड के संबंध में आपको कुछ कहना हो तो इसके लिए दिनांक–10.12.2025 (बुधवार) को समय अपराह्न 01:00 बजे अधोहस्ताक्षरी कार्यालय प्रकोष्ठ में सुनवाई निर्धारित की गई है।

अतः अनुरोध है कि सुनवाई की उक्त निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना सुनिश्चित किया जाए। यदि आपके द्वारा उक्त निर्धारित तिथि समय एवं स्थान पर अपना पक्ष नहीं रखा जाता है तो यह माना जाएगा कि इस संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है और Ex Parte आदेश पारित कर दिया जाएगा जिसके जिम्मेवार आप स्वयं होंगे।

Kumar 04.12.25

खनिज विकास पदाधिकारी
मधुबनी।

Annexure-4 (21)

Annexure (22)

[illegible]

मधुबनी

विषय: वाहन संख्या BR32GB-5131 की [illegible] हेतु आवेदन।

महोदय,

मैं दीपक कुमार मिश्रा, प्रो० अधीरा हाउसिंग, प्लॉट नं०-12, इंडस्ट्रियल एरिया, पंडौल, जिला मधुबनी, विनम्रतापूर्वक निम्नलिखित प्रार्थनापत्र निवेदन करता हूँ—

1. यह कि दिनांक 06.11.2025 को मेरा वाहन BR32GB-5131 (हाइड्रोलिक टिपर) विधिवत खरीदी गई जिसमें गिट्टी (Stone Chips) का परिवहन कर रहा था।
2. यह कि वैध चालान / ट्राज़िट परमिट जारी किया गया था, जो उस समय वाहन चालक के पास मौजूद था।
3. यह कि चालक द्वारा वैध चालान दिखाए जाने के बावजूद अधिकारियों द्वारा चालान को नज़रअंदाज़ किया गया तथा वाहन को ज़ब्त कर लिया गया एवं ₹8,43,116/- का दंड लगाया गया।
4. यह कि परिवहन के समय वैध चालान उपलब्ध था, इसलिए "बिना चालान परिवहन" का आरोप वस्तुतः गलत है।

[illegible] वाहन की ज़ब्ती [illegible]

[illegible]

[illegible] प्राकृतिक न्याय के

सिद्धांतों का उल्लंघन है।

7. यह कि [illegible] कानून सम्मत था और किसी भी नियम को

तोड़ने का कोई उद्देश्य नहीं था।

8. यह कि उक्त वाहन वित्तीय संस्था से ऋण पर लिया गया है तथा वाहन का ईएमआई प्रति माह ₹ 45,825/- नियमित रूप से जमा किया जा रहा है। वाहन की ज़ब्ती के कारण ईएमआई भुगतान पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जिससे अत्यधिक आर्थिक क्षति हो रही है

9. यह कि <u>State of Bihar vs. Kedar Sao & Others, (2004) 9 SCC 344</u> सुप्रीम कोर्ट ने कहा:

- जब परिवहन के समय वैध चालान / रसीद / कागज़ात मौजूद हों और परिवहन कानूनी रूप से किया जा रहा हो, तो केवल संदेह के आधार पर वाहन जब्त करना न्यायसंगत नहीं है।

अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होता है कि जब्ती केवल उन्हीं मामलों में हो, जहाँ स्पष्ट और ठोस प्रमाण हो कि अवैध खनन या अवैध परिवहन हुआ है।

यदि व्यक्ति के पास वैध दस्तावेज़ मौजूद हों, तो जब्ती तथा दंड अनुचित माना जाएगा।

Sunderbhai Ambalal Desai vs. State of Gujarat (2002) 10 SCC 283 सुप्रीम कोर्ट ने कहा:

वाहन को [illegible] रूप से [illegible] कर लंबे समय तक रखने से वाहन की स्थिति खराब होती है और इसके मालिक को आर्थिक नुकसान होता है।

जब दस्तावेज़ उपलब्ध हों और वाहन की आवश्यकता जाँच में न हो तो वाहन को शीघ्र रिहा किया जाना चाहिए।

ज़ब्ती पावर का प्रयोग सावधानीपूर्वक और न्यायपूर्ण तरीके से होना चाहिए।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में, विनम्र प्रार्थना है

कि

वाहन संख्या BR32GB-5131 (हाइड्रोलिक टिपर) को शीघ्र रिहा किया जाए।

दिनांक 04.12.2025 के नोटिस के आधार पर लगाया गया ₹8,43,116/- का दंड निरस्त / वापस किया जाए।

चूँकि परिवहन वैध चालान के साथ किया गया था, अतः मेरे विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए।

(24)

दिनांक: 10/12/2025

भवदीय,

दीपक कुमार मिश्रा

प्रो० अधीरा हाउसिंग

वाहन स्वामी – BR32GB-5131

मोबाइल: 9122707172

(125)

अनुज्ञप्तिधारी की कॉपी

प्रिंट दिनांक : 06 Nov 2025 01:04:10 PM

Prepaid Challan

खनिज अभिवहन पास / चालान (प्रीपेड)

खान एवं भूतत्व विभाग

बिहार सरकार

122154952412

यूआईडी	: 122154952412 एआईडी : F102500422
चालान / पास नं.	: 262921251106010406127
1.अनुज्ञप्तिधारी का नाम और स्थान	: MS RS STONE PARTNER AMRESH KUMAR,SAKRI
2.अनुज्ञप्ति संख्या	: K-MADHUBANI/10/2025
3.अनुज्ञप्तिधारी का जिला	: MADHUBANI
4.अनुज्ञप्तिधारी का मोबाइल नंबर	: 7857014414
5.इस चालान के जारी करने की तारीख और समय	: 06 Nov 2025 01:04:06 PM
6.चालान अवधी समाप्ति की तारीख / समय	: 06 Nov 2025 7:04:06 PM
7.खनिज का नाम	: STONE-STONE(CHIPS)-No Size
8.खनिज का वजन (MT में)	: 5.110
9.खनिज की मात्रा (Cft में)	: 127.750
10.ग्राहक का नाम	: PARVASH KUMAR
11.ग्राहक का मोबाइल नंबर	6200666543
12.वाहन का गंतव्य स्थान	: RAHIKA HIGH SCHOOL DISTRICT : MADHUBANI STATE : BIHAR थाना : Rahika प्रखंड : RAHIKA
13.वाहन संख्या	: BR32GB5131
14.वाहन के प्रकार	: Truck/ChassisNo-MAT786001N8A*****

चालक की कॉपी

प्रिंट दिनांक : 06 Nov 2025 01:04:10 PM

Prepaid Challan

खनिज अभिवहन पास / चालान (प्रीपेड)

खान एवं भूतत्व विभाग

बिहार सरकार

122154952412

यूआईडी	: 122154952412 एआईडी : F102500422
चालान / पास नं.	: 262921251106010406127
1.अनुज्ञप्तिधारी का नाम और स्थान	: MS RS STONE PARTNER AMRESH KUMAR,SAKRI
2.अनुज्ञप्ति संख्या	: K-MADHUBANI/10/2025
3.अनुज्ञप्तिधारी का जिला	: MADHUBANI
4.अनुज्ञप्तिधारी का मोबाइल नंबर	: 7857014414
5.इस चालान के जारी करने की तारीख और समय	: 06 Nov 2025 01:04:06 PM
6.चालान अवधी समाप्ति की तारीख / समय	: 06 Nov 2025 7:04:06 PM
7.खनिज का नाम	: STONE-STONE(CHIPS)-No Size
8.खनिज का वजन (MT में)	: 5.110
9.खनिज की मात्रा (Cft में)	: 127.750
10. ग्राहक का नाम	: PARVASH KUMAR
11.ग्राहक का मोबाइल नंबर	: 6200666543
12.वाहन का गंतव्य स्थान	: RAHIKA HIGH SCHOOL DISTRICT : MADHUBANI STATE : BIHAR थाना : Rahika प्रखंड : RAHIKA
13.वाहन संख्या	: BR32GB5131
14.वाहन के प्रकार	: Truck/ChassisNo-MAT786001N8A*****

[...PERMIT]
[Dat]e of Approval : 16-Mar-2022

(26) (27)

TRANSPORT DEPARTMENT, BIHAR

FORM P.Pu.C

Rule 73(7)(v)

बिहार सरकार

PERMIT IN RESPECT OF GOODS PERMIT (MEDIUM GOODS VEHICLE)

PART-A

1. Permit No	BR2022-GP-7544A
2. Name Of The Permit Holder	ADHIRA HOUSING
3. Father's/Husband's Name	PROP. - DEEPAK KUMAR MISHRA
4. Address	PLOT NO-12 INDUSTRIAL AREA,PANDUAL PANDUAL PLOT NO-12 INDUSTRIAL AREA,PANDUAL, Bihar Madhubani-847234
5.(i) Registration Mark of the Vehicle	[illegible]
(ii) Registration Date	[illegible]
(iii) Make/Model	TATA MOTORS LTD/912 LPK DCR27UBT 125B6M5
(iv) Chassis Number	MAT[illegible]N8A01829
(v) Engine Number	3.3LNGD06AXX501696
(vi) Class of Vehicle	Goods Carrier
(vii) Number of Persons to be carried	2
(viii) Replacement Of Vehicle	
(ix) Other Criteria Field	
(x) Manuf. year of the motor vehicle	2022
(x) Name of Financier,if any,with whom the Vehicle is under Hire Purchase aggrement	TATA MOTORS FINANCE LIMITED
(xi) Service Type	Goods Service

6. The route or routes of the area for which the permit is valid:

Region Covered : ALL BIHAR

7. Validity of the Permit : From: 16-Mar-2022 To: 15-Mar-2027

8. Load Capacity of Vehicle :

(i) Gross Weight of Vehicle	9600
(ii) Unladen Weight	4485
(iii) Pay Load	5115

9. Nature of Goods to be carried

[D]ate 16-Mar-2022

Secretary
State/Regional Transport Authority,
District Transport Officer
MADHUBANI (BIHAR)

बिहार सरकार

(27)

Indian Union Vehicle Registration Certificate
Issued by Government of Bihar

Regn. Number: BR32GB5131
Date of Regn.: 16-03-2022
Regn. Validity: As per Fitness
Owner Serial: 1

Chassis Number: MAT786001N8A01823
Engine/Motor Number: 3.3LNGD06AXX501696
Owner Name: ADHIRA HOUSING
Son / Wife / Daughter of (In case of Individual Owner): PROP:- DEEPAK KUMAR MISHRA
Address: PLOT NO-12,INDUSTRIAL AREA,PANDUAL, PANDUAL,
PLOT NO-12,INDUSTRIAL AREA,PANDUAL,
MADHUBANI, BR, 847234

EL
sion Norms
RAT STAGE VI

Card Issue Date (11-05-2022)

Vehicle Class: GOODS CARRIER (MGV)

Regn. Number: BR32GB5131
Maker's Name: TATA MOTORS LTD
Model Name: 912 LPK DCR27UBT 125B6M5
Colour: BRICK_RED
Body Type: TIPPER
Seating (in all) / Standing # / Sleeper Capacity #: 2 / 0 / 0
Month-Year of Mfg.: 05 - 2022
Unladen / Laden # / Gross Combination # Weight (kg): 4485 / 9600 / 0
Number of Cylinders: 4
Cubic Capacity / Horse Power(BHP/Kw) / Wheel Base(mm): 3300.0 / 123.28 / 2775
Number of Axle #: 2
Financer Name #: TATA MOTORS FINANCE LIMITED

Registration Authority
DTO - MADHUBANI

From 23A

Annexure - 4 (28)

Annexure - P/7

जिला खनन कार्यालय, मधुबनी

ज्ञापांक–1000 / एम0, मधुबनी, दिनांक–16 / 12 / 2025 ई0।

प्रेषित:–

श्री दीपक कुमार मिश्रा
बरही टोला, थाना–पंडौल
जिला–मधुबनी,
मो0 सं0–9122707172

विषय:– खनिज विकास पदाधिकारी, मधुबनी एवं खान निरीक्षक, मधुबनी श्री दीपक कुमार महतो के विरूद्ध आपके द्वारा लगाए गए आरोप (मारपीट करने एवं रिश्वत माँगने) के संबंध में लिखित सम्पुष्टि, शपथ पत्र एवं साक्ष्य उपलब्ध कराने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक–06.11.2025 को लघु खनिज मिट्टी (180 CFT) के अवैध परिवहन (बिना चालान) के कारण आपके वाहन निबंधन सं0–BR32GB-5131 (छः चक्का हाईड्रोलिक टीपर), चेसिस सं0–MAT786001N8A01823 एवं इंजन सं0–3 3LNGD06AXX501696 को खान निरीक्षक, मधुबनी के द्वारा जब्त कर सकरी थाना में सुरक्षार्थ रखा गया था एवं ₹8,43,116/- (आठ लाख तैंतालीस हजार एक सौ सोलह) रूपये का दण्ड अधिरोपित किया गया था।

जिला पदाधिकारी, मधुबनी को सम्बोधित आपका पत्र दिनांक–08.11.2025 इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है जिसमें आपके द्वारा आरोप लगाया गया है कि आपके उपरोक्त जप्त वाहन BR32GB-5131 को छोड़ने के लिए खान निरीक्षक श्री दीपक कुमार महतो एवं खनिज विकास पदाधिकारी, श्री संतोष कुमार ने रिश्वत की माँग की। आपके द्वारा लगाए गए आरोपों की जाँच प्रारंभ करने से पूर्व आरोपों की लिखित संपुष्टि, शपथ पत्र एवं साक्ष्य की आवश्यकता है।

अतः अनुरोध है कि आपके द्वारा लगाए गए आरोपों से संबंधित लिखित संपुष्टि, शपथ पत्र एवं आवश्यक साक्ष्य दिनांक–22.12.2025 तक इस कार्यालय में उपस्थित होकर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि आपके द्वारा दायर परिवाद पर नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई की जा सके।

Kumar 16.12.25
खनिज विकास पदाधिकारी,
मधुबनी।

Annexure-6

Annexure-A/P/6 (30) 1

(29)

IN THE COURT OF THE DISTRICT MAGISTRATE-CUM-COMPETENT AUTHORITY, MADHUBANI

(Under Bihar Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2021 r.w.f 2019)

Mining Appeal Case No. _______ / 2025

In the matter of:

Deepak Kumar Mishra, R/o Barhi Tol, P.S. Pandaul, District Madhubani. … **Petitioner/Owner**

Versus

The State of Bihar,

Through the District Mining Officer, Madhubani.

… **Opposite Party**

The humble Petition for **Release** of Vehicle Bearing **Registration** No. BR32GB5131

22/12/25

May it please Your Honour,

1. That the petitioner is the registered owner of the vehicle bearing registration no. BR32GB5131 (6 Wheeler Tipper), which was seized on 06.11.2025 by the Mining Inspector, Madhubani, under the allegation of illegal transportation of minor minerals (Stone Chips).
2. That the said seizure was affected when the vehicle was standing in the parking beside the rack after loading, and the driver had gone to obtain a valid challan from the office. However, without verifying the documents or waiting for the challan, Mining Inspector forcibly seized the vehicle, abused and assaulted the staff, and snatched his mobile phone, thereafter parking the vehicle at Sakri Police Station.
3. That the petitioner submits that a valid challan was available and was being issued on the day of seizure. Thus, the seizure was arbitrary, illegal, and without jurisdiction, violating the provisions of the Bihar Minor Mineral Concession Rules, 2019, and the Bihar Minerals (Prevention

of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2021.

4. That, as per Rule 57(1) of the Bihar Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2021, the competent authority (District Magistrate) has the power to release the seized vehicle upon satisfaction that the minerals were being transported legally or that the seizure was unjustified.

5. That the Hon'ble Patna High Court in **C.W.J.C. No. 1488/2025 Sushil Kumar Yadav vs The state of Bihar**, held that:

"Where the vehicle was seized with valid documents or the seizure was not supported by proper inquiry under the Mining Rules, the same shall be released by the competent authority without delay, as an arbitrary seizure amounts to violation of Article 300A of the Constitution of India."

6. That further, the Hon'ble Court observed that the District Magistrate, being the competent authority, is bound to release the vehicle when

the transportation is duly supported by valid documents or when the seizure appears malafide.

7. That the petitioner submits that the seizure was malafide, done with an ulterior motive of extracting illegal gratification, and hence the same deserves to be quashed.

8. That the petitioner is suffering huge financial loss as the vehicle is lying idle in the police station for no fault of his own, and the material loaded on it is perishable in nature.

9. That in view of the above facts and submissions, the petitioner most respectfully prays that Your Honour may graciously be pleased to—

I. Order the immediate release of the vehicle bearing registration no. BR32GB5131 (6-Wheeler Tipper) along with its loaded material (Stone Chips) in favour of the petitioner;

II. Hold that the seizure made by the Mining Inspector, Madhubani, was illegal and arbitrary; and

III. Pass any other appropriate order deemed fit in the interest of justice.

And for this act of kindness, the petitioner shall ever pray.

Deepak Kumar Mishra

22/12/25

Petitioner/Owner

R/o Barhi Tol, P.S. Pandaul, District Madhubani.

Mobile No: [__________]

Filed Through Counsel:

Adv. Atul Kumar Jha

Civil Court, Madhubani

Before,

The District Collector, Madhubani, Bihar

Through: District Legal Section, Madhubani

In: Mining Appeal Case No. 117/2025-26

Deepak Kumar Mishra Vs. State

THE HUMBLE REJOINDER ON BEHALF OF THE APPELLANT

Most Respectfully Submitted:

1. That the appellant is the registered owner of the hydraulic tipper bearing registration no. BR32GB-5131.
2. That the vehicle is a commercial transport vehicle and is engaged in lawful carriage work. The present proceeding arises from a seizure dated 06.11.2025 at about 12:50 PM near Sakri (NH-27) by the Mining Inspector, Madhubani. The allegation that the vehicle was involved in the illegal transportation of minor minerals is completely incorrect and not supported by legally admissible evidence.

O.C
23/2/26

Filed by -
ATUL KUMAR JHA

government loss. Hence, videography is only corroborative material and cannot independently establish a violation of Rule 43 or 56. Incorrect Allegation of Overloading (180 CFT vs 127.75 CFT).

6. That the allegation of 180 CFT mineral is purely presumptive. No scientific weighing or volumetric measurement was conducted in the presence of the appellant. No: weighbridge slip measurement panchnama, independent witness certification has been produced. Therefore, the overload allegation is speculative and legally unsustainable. Penal consequences cannot be based upon estimation. Misapplication of Rule 43 & Rule 56(1)(ii) Rule 43 applies only when transport is proved without a valid permit. Rule 56(1)(ii) applies when illegal mining or illegal transport is established by evidence.
7. That in the present case: mineral source not identified, no illegal excavation alleged no royalty loss assessed Challan exists. Therefore, statutory ingredients of offence are absent and provisions have been wrongly invoked. Penalty ₹8,44,116 Arbitrary and Illegal Penalty must be based upon quantified mineral verified illegal extraction assessed royalty loss The department has neither calculated actual government loss nor

3. That the vehicle was seized solely on the grounds that the driver could not immediately produce an e-challan. It is submitted that: Non-production of a document at the spot is not proof of illegal mining or illegal transport.
4. That the inspecting authority did not identify the source mine/stockyard, did not record a statement of the seller/lessee, did not conduct measurement through an authorised method, and did not prepare a scientific inspection report. Hence, no offence under mining law was established before seizure.
5. That the department alleges that the challan dated 06.12.2025 was generated after seizure. However, a) The Rules require the existence of lawful transport, not instantaneous physical display. b) The portal-based permit system often faces network delay and operator dependency. c) Delay in downloading or presenting the document does not automatically convert a lawful transport into illegal transport. Most importantly, the authority has not declared the challan forged or fabricated through any technical audit or portal verification. Therefore, the transportation cannot be presumed illegal. Geo-Tagged Videography is not proof of Illegal Mining. Videography merely shows the movement of the vehicle. It does not prove: illegal source, absence of royalty payment, illegal excavation,

37

38

established the unlawful excavation. Hence, the proposed penalty is arbitrary, disproportionate and violative of Article 14 of the Constitution of India. Before concluding illegality and imposing a penalty, no effective hearing was granted no measurement report supplied no videography copy supplied no technical report supplied.

8. Therefore, the proceedings are vitiated Law is settled that department must prove illegal mining. Mere suspition, presumption or non-production of a document at the spot cannot reverse the burden onto the vehicle owner.

In view of the facts and law stated above, it is most respectfully prayed that:

1. The seizure dated 06.11.2025 be declared illegal.

2. Allegation of violation of Rule 43 & 56(1)(ii) be dropped.

3. Proposed penalty of ₹8,44,116 be set aside.

4. Vehicle BR32GB-5131 is to be treated as lawfully operated, and all proceedings are to be quashed.

And for this act of kindness, the appellant shall ever pray.

Annexure – 7 (130)

Annexure – A/7 (25)

MIN-MDB

1/160962/2026

जिला खनन कार्यालय, मधुबनी

पत्रांक–117 / एम0, मधुबनी, दिनांक–09 / 02 / 2026 ई0।

प्रेषक,

खनिज विकास पदाधिकारी,
मधुबनी।

सेवा मे,

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा,
मधुबनी।

विषयः– **खनन अपील वाद सं0–117 / 2025–26 दीपक कुमार मिश्रा बनाम सरकार में प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।**

प्रसंग – भवदीय पत्रांक 207 / जि0वि0न्या0 दिनांक–29.01.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रासंगिक पत्र के द्वारा विषयांकित खनन अपीलवाद मे प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश प्राप्त है। प्रस्तुत अपीलवाद मे अपीलकर्त्ता का कथन है कि दिनाक–06.11.2025 को खान निरीक्षक, मधुबनी के द्वारा उनका वाहन BR32GB-5131 को जब्त किया गया जो गलत है। अपीलकर्त्ता के द्वारा उक्त वाहन का खनिज परिवहन चालान प्रस्तुत किया गया है जो वाहन जब्ती के समय के बाद निर्गत है। अपीलकर्त्ता के द्वारा उनके जब्त वाहन को मुक्त करने हेतु अनुरोध किया गया है।

इस संबध में कहना है कि दिनाक–06.11.2025 को समय 12.50 बजे अपराहन मे सकरी थाना के समीप श्री दीपक कुमार महतो, खान निरीक्षक, मधुबनी के द्वारा लघु खनिजों के अवैध परिवहन की जॉच के क्रम मे एक 06 चक्का हाइड्रॉलिक टिपर निबंधन संख्या–BR32GB-5131 को जॉच हेतु रोका गया एवं वाहन चालक से वाहन पर लदे लघु खनिज गिट्टी के परिवहन के लिए वैध खनिज परिवहन चालान की मॉग की गई। वाहन चालक के द्वारा खनिज परिवहन का कोई भी वैध ई–चालान प्रस्तुत नही किया गया। इसलिए खान निरीक्षक के द्वारा उक्त वाहन जप्त कर नजदीकी थाना सकरी को सुरक्षार्थ सुपुर्द किया गया एवं इसकी एक प्रति वाहन चालाक को हस्तगत कराई गई। इस संबध मे वाहन मालिक के द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष वाहन विमुक्ति हेतु अनुरोध किया गया। तदालोक मे सुनवाई के दौरान वाहन स्वामी का पक्ष सुनते हुए एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त का पालन करते हुए उनके आवेदन को इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक–1002 / एम0 दिनांक–16.12.2025 (Self Explanatory) (प्रति सलग्न) के द्वारा खारिज किया गया।

प्रस्तुत अपीलवाद मे अपीलकर्त्ता का कथन है कि उनका वाहन लोडिंग के उपरान्त रैक के किनारे खड़ा था एवं वाहन चालक चालान प्राप्त करने के लिए गया हुआ था। इस संबध मे कहना है कि अपीलकर्त्ता का उक्त कथन गलत है क्योंकि वाहन जब्ती के समय किए गए Geo-Tagged Videography के अवलोकन से स्पष्ट है कि वाहन को सकरी के पास NH-27 पर जब्त किया गया था एवं चालक वाहन मे ही था। चालक से ई–चालान की मांग करने पर उनके द्वारा कोई ई–चालान प्रस्तुत नही किया गया बल्कि Manual चालान प्रस्तुत किया गया जो नियमानुसार गलत है। अभ्यावेदन के अनुसार वाहन मालिक का कथन है कि वाहन चालक के पास वैध / ट्रांजिट परमिट मौजूद था। अपीलकर्त्ता के द्वारा अपील आवेदन के साथ एक ई–चालान सलग्न किया गया है जो वाहन जब्ती के बाद निर्गत है।

जब्ती के अनुसार खान निरीक्षक के द्वारा वाहन को दिनाक–06.11.2025 को समय 12.50 बजे अपराहन मे सकरी थाना के समीप जब्त किया गया था। वाहन मालिक के द्वारा समर्पित चालान के अनुसार चालान निर्गत होने की तिथि एवं समय दिनांक–06.12.2025 समय– 1.04 बजे अपराहन का

है। इस प्रकार वाहन का खनिज परिवहन चालान वाहन जब्ती के समय के बाद निर्गत है। इससे स्पष्ट **है कि वाहन जब्ती के समय वाहन चालक के पास कोई भी वैध चालान नहीं था एवं वाहन जब्त होने के बाद परिवहन चालान निर्गत किया गया था।** यदि बहस के लिए वाहन मालिक द्वारा समर्पित चालान को Consider कर भी लिया जाय (हालाँकि Consider करना गलत है इसलिए Consider नहीं किया जा रहा है) तो भी चालान के अनुसार वाहन पर 127.75 CFT लदे गिट्टी का चालान है जबकि वाहन जब्ती के समय जब्ती से संबंधित कागजात के अनुसार वाहन पर 180 CFT गिट्टी लदा हुआ था। इस प्रकार वाहन पर लदान क्षमता से अधिक (Overload) गिट्टी लदा हुआ था।

इस प्रकार वाहन मालिक द्वारा समर्पित अपील आवेदन के अनुसार वाहन मालिक का दावा कि वाहन जब्त करने के समय वाहन चालक के पास वैध चालान उपलब्ध था, गलत, बेबुनियाद, साक्ष्यविहीन एवं तथ्य से परे है।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली 2019 यथा संशोधित, 2024 का नियम 43 एवं 56(1)(ii) निम्नवत है–

43. परिवहन पर निषेध– कोई भी व्यक्ति कोई अयस्क/खनिज का निकलने वाले स्थान से किसी साधन द्वारा पट्टा क्षेत्र या खनिजों के एक स्टॉक से अन्य स्थान पर इस नियमावली के अधीन सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रपत्र–'छ' में या विहित प्रपत्र में वैध पारगमन पास/चालान/ई–चालान अपने पास रखे बिना परिवहन नहीं करेगा या करवाएगा अथवा ले जाएगा।

56. खनिजों का अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण –

(1)(ii). कोई व्यक्ति किसी खनिज का परिवहन अथवा भंडारण बिना वैध चालान के नहीं करेगा अथवा करवाएगा। साथ ही खनिज का परिवहन अवास्तविक, अनिबंधित एवं गैर वाणिज्यिक वाहन से नहीं करेगा।

इस प्रकार बिना वैध चालान के उपरोक्त जब्त वाहन के द्वारा खनिज का परिवहन किया जाना बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली 2019 यथा संशोधित, 2024 के नियम 43 एवं 56(1)(ii) का उल्लंघन है जो नियम 56(2) के तहत दण्डनीय है। अतः खान निरीक्षक, मधुबनी के द्वारा उक्त वाहन को जब्त किया जाना एवं उक्त नियम 56(2) के अनुसार ₹8,44,116/–(आठ लाख चौवालीस हजार एक सौ सोलह) रुपये का दंड अधिरोपित किया जाना सही एवं नियम संगत है जिसे इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक–1002/एम0 दिनांक–16.12.2025 के द्वारा भी सही ठहराया गया है।

उक्त जब्त वाहन के विरुद्ध अभी तक वाहन मालिक अथवा चालक के द्वारा नियमानुसार शमन शुल्क एवं खनिज मूल्य की राशि जमा नहीं की गयी है। यदि दण्ड की उक्त राशि जिला खनन कार्यालय, मधुबनी में जमा कराये बिना उक्त वाहन को विमुक्त किया जाता है तो इससे सरकार को ₹8,44,116/–(आठ लाख चौवालीस हजार एक सौ सोलह) रुपये के राजस्व का नुकसान होगा।

उपरोक्त तथ्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि बिना खनिज परिवहन चालान के खनिजों का परिवहन किए जाने के कारण वाहन को जब्त किया गया था। खनिज परिवहन से संबंधित नियमों का पालन नहीं करने के कारण अपीलकर्त्ता का अपील स्वीकारनीय नहीं है।

अतः अनुरोध है कि अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज करने की कृपा की जाय। तथा वाहन स्वामी को ₹8,44,116/–(आठ लाख चौवालीस हजार एक सौ सोलह) रुपये दण्ड स्वरूप जिला खनन कार्यालय, मधुबनी में जमा करने का आदेश निर्गत करने की कृपा की जाय।

अनु०– यथोक्त।

विश्वासभाजन

Kumar 09.02.26

खनिज विकास पदाधिकारी,
मधुबनी।

Annexure

Annexure - P10

(50)

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी कार्रवाई
10.03.2026	**न्यायालय समाहर्त्ता, मधुबनी** **<u>खनन अपील वाद संख्या–117/2025–26</u>** दीपक कुमार मिश्रा। बनाम सरकार। प्रस्तुत वाद अपीलकर्त्ता दीपक कुमार मिश्रा, पिता–विंध्याचल मिश्र, सा0–बरही टोल, थाना–पंडौल, जिला–मधुबनी, द्वारा जिला खनन कार्यालय, मधुबनी द्वारा निर्गत पत्रांक–02/कैंप, दिनांक 06.11.2025 के विरूद्ध बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2024 के नियम 67(I) के अन्तर्गत दाखिल किया गया, के आलोक में उक्त वाद की कार्रवाई प्रारंभ की गई। उक्त दाखिल अपील आवेदन के आलोक में खनिज विकास पदाधिकारी, मधुबनी से तथ्यात्मक जवाब दाखिल करने का निदेश दिया गया। सुनवाई की तिथि को अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं खनिज विकास पदाधिकारी, मधुबनी उपस्थित रहे। अपीलकर्त्ता द्वारा दाखिल अपील आवेदन मुख्य अंश यह है कि यह वाद जिला खनन कार्यालय, मधुबनी द्वारा निर्गत पत्रांक 02/कैंप, दिनांक 06.11.2025 के विरूद्ध बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 के नियम 67(I) के अन्तर्गत दाखिल किया गया खनिज विकास पदाधिकारी, मधुबनी द्वारा बिना किसी वैध कारण के मात्र संदेह के आधार पर अपीलकर्ता के वाहन टिपर रजिस्ट्रेशन नंबर BR32GB5131 को दिनांक 06.11.2025 को खनन निरीक्षक, मधुबनी द्वारा लघु खनिज (स्टोन चिप्स/गिट्टी) के अवैध परिवहन के आरोप में जब्त कर लिया गया था। उक्त जब्ती उस समय की गई जब वाहन लोडिंग के बाद रैक के बगल में पार्किंग में खड़ा था, और चालक कार्यालय से वैध चालान प्राप्त करने के लिए गया था। हालांकि, दस्तावेजों का सत्यापन किए बिना या चालान का इंतजार किए बिना, खनन निरीक्षक द्वारा जबरन वाहन को जब्त कर लिया गया। स्टाफ के साथ गाली–गलौज और मारपीट की गयी, उसका मोबाइल फोन छीन लिया गया, और उसके बाद वाहन को सकरी पुलिस स्टेशन में खड़ा कर दिया गया। जब्ती के दिन अपीलकर्त्ता के पास वैध चालान उपलब्ध था और जारी किया जा रहा था। इस प्रकार, यह जब्ती मनमानी, अवैध और अधिकार क्षेत्र से बाहर थी, जो बिहार लघु खनिज समानुदान नियमावली, 2019 और बिहार खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2021 के प्रावधानों का उल्लंघन है। यह कि बिहार खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2021 के नियम 57(1) के अनुसार, सक्षम प्राधिकार (जिला पदाधिकारी) को यह शक्ति प्राप्त है कि यदि वे संतुष्ट हों कि खनिजों का परिवहन वैध रूप से किया जा रहा था या जब्ती अनुचित थी, तो वे जब्त वाहन को मुक्त कर सकते हैं। यह कि माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा समादेश याचिका वाद संख्या–1488/2025 सुशील कुमार यादव बनाम बिहार राज्य में यह अभिनिर्धारित किया है कि जहां वाहन को वैध दस्तावेजों के साथ जब्त किया गया था या जब्ती खनन नियमों के तहत उचित जांच द्वारा समर्थित नहीं थी, उसे सक्षम प्राधिकार द्वारा बिना किसी देरी के मुक्त किया जाएगा, क्योंकि मनमानी जब्ती भारत के संविधान के अनुच्छेद 300A का उल्लंघन है। माननीय न्यायालय द्वारा टिप्पणी किया गया है कि जिला पदाधिकारी, सक्षम प्राधिकार होने के नाते, वाहन को मुक्त करने के लिए बाध्य हैं जब परिवहन वैध दस्तावेजों द्वारा विधिवत समर्थित हो या जब जब्ती दुर्भावनापूर्ण प्रतीत हो। अपीलकर्त्ता का निवेदन है कि जब्ती दुर्भावनापूर्ण थी, जो अवैध लाभ वसूलने के छिपे हुए उद्देश्य से की गई थी, और इसलिए इसे रद्द किया जाना चाहिए। अपीलकर्ता को भारी वित्तीय नुकसान	

हो रहा है क्योंकि वाहन बिना किसी गलती के पुलिस स्टेशन में बेकार खड़ा है, और उस पर लदी सामग्री नष्ट होने वाली प्रकृति की है। उपरोक्त तथ्यों और निवेदनों के आलोक में, याचिकाकर्त्ता के पक्ष में टिपर वाहन पंजीकरण संख्या BR32GB5131 को उस पर लदी सामग्री (स्टोन चिप्स) के साथ तत्काल मुक्त करने का आदेश दिया जाए।

खनिज विकास पदाधिकारी, मधुबनी द्वारा अपीलकर्त्ता द्वारा दायर अपील आवेदन के संदर्भ में अपने कार्यालय पत्रांक 117/एम०, दिनांक 09.02.2026 द्वारा अपना जवाब समर्पित किया गया, जिसके द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि दिनांक 06.11.2025 को समय 12:50 बजे अपराह्न में सकरी थाना के समीप श्री दीपक कुमार महतो, खान निरीक्षक, मधुबनी के द्वारा लघु खनिजों के अवैध परिवहन की जाँच के क्रम में एक 06 चक्का हाइड्रॉलिक टिपर निबंधन संख्या–BR32GB-5131 को जाँच हेतु रोका गया एवं वाहन चालक से वाहन पर लदे लघु खनिज गिट्टी के परिवहन के लिए वैध खनिज परिवहन चालान की माँग की गई। वाहन चालक के द्वारा खनिज परिवहन का कोई भी वैध ई–चालान प्रस्तुत नहीं किया गया। इसलिए खान निरीक्षक के द्वारा उक्त वाहन जप्त कर नजदीकी थाना सकरी को सुरक्षार्थ सुपुर्द किया गया एवं इसकी एक प्रति वाहन चालाक को हस्तगत कराई गई। इस संबंध में वाहन मालिक के द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष वाहन विमुक्ति हेतु अनुरोध किया गया। तदालोक में सुनवाई के दौरान वाहन स्वामी का पक्ष सुनते हुए एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त का पालन करते हुए उनके आवेदन को इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक–1002/एम० दिनांक 16.12.2025 के द्वारा खारिज किया गया। प्रस्तुत अपीलवाद में अपीलकर्त्ता का कथन है कि उनका वाहन लोडिंग के उपरान्त रैक के किनारे खड़ा था एवं वाहन चालक चालान प्राप्त करने के लिए गया हुआ था। इस संबंध में अपीलकर्ता का उक्त कथन गलत है क्योंकि वाहन जब्ती के समय किए गए Geo-Tagged Videography के अवलोकन से स्पष्ट है कि वाहन को सकरी के पास NH–27 पर जब्त किया गया था एवं चालक वाहन में ही था। चालक से ई–चालान की मांग करने पर उनके द्वारा कोई ई–चालान प्रस्तुत नहीं किया गया बल्कि Manual चालान प्रस्तुत किया गया था, जो नियमानुसार गलत है। वाहन मालिक का कथन है कि वाहन चालक के पास वैध/ट्रांजिट परमिट मौजूद था। अपीलकर्ता के द्वारा अपील आवेदन के साथ एक ई–चालान संलग्न किया गया है, जो वाहन जब्ती के बाद निर्गत है। जब्ती के अनुसार खान निरीक्षक के द्वारा वाहन को दिनांक 06.11.2025 को समय 12:50 बजे अपराहन में सकरी थाना के समीप जब्त किया गया था। वाहन मालिक के द्वारा समर्पित चालान के अनुसार चालान निर्गत होने की तिथि एवं समय दिनाक 06.11.2025 समय 1:04 बजे अपराहन का है। इस प्रकार वाहन का खनिज परिवहन चालान वाहन जब्ती के समय के बाद निर्गत हैं। इससे स्पष्ट है कि वाहन जब्ती के समय वाहन चालक के पास कोई भी वैध चालान नहीं था एवं वाहन जब्त होने के बाद परिवहन चालान निर्गत किया गया था। यदि वाहन मालिक द्वारा समर्पित चालान को Consider कर भी लिया जाय (हालाँकि Consider करना गलत है इसलिए Consider नहीं किया जा रहा है) तो भी चालान के अनुसार वाहन पर 127.750 CFT लदे गिट्टी का चालान है जबकि वाहन जब्ती के समय जब्ती से सबंधित कागजात के अनुसार वाहन पर 180 CFT गिट्टी लदा हुआ था। इस प्रकार वाहन पर लदान क्षमता से अधिक गिट्टी लदा हुआ था। इस प्रकार से वाहन मालिक का यह दावा कि वाहन जब्ती के समय वाहन चालक के पास वैध चालान उपलब्ध था, गलत, बेबुनियाद, साक्ष्यविहीन एवं तथ्य से परे है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि बिहार खनिज समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण नियमावली 2019 यथा सशोधित, 2024 का नियम 43 एवं 56(1)(II) निम्नवत है।

> **43. परिवहन पर निषेधः–कोई भी व्यक्ति कोई अयस्क/खनिज का निकलने वाले स्थान से किसी साधन द्वारा पट्टा क्षेत्र या खनिजों के एक स्टॉक से अन्य स्थान पर इस नियमावली के अधीन सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रपत्र–छ में या विहित प्रपत्र में वैध पारगमन**

पास/चालान/ई-चालान अपने पास रखे बिना, परिवहन नहीं करेगा या करवाएगा अथवा ले जाएगा।

56. खनिजों का अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण (1)(II). कोई व्यक्ति किसी खनिज का परिवहन अथवा भंडारण बिना वैध चालान के नहीं करेगा अथवा करवाएगा। साथ ही खनिज का परिवहन अवास्तविक, अनिबधित एवं गैर वाणिज्यिक वाहन से नहीं करेगा।

इस प्रकार बिना वैध चालान के उपरोक्त जब्त वाहन के द्वारा खनिज का परिवहन किया जाना बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली 2019 यथा संशोधित, 2024 के नियम 43 एवं 56(1)(II) का उल्लघन है जो नियम 56(2) के तहत दण्डनीय है।

अतः खान निरीक्षक, मधुबनी के द्वारा उक्त वाहन को जब्त किया जाना एवं उक्त नियम 56 (2) के अनुसार ₹8,44,116.00 (आठ लाख चौवालीस हजार एक सौ सोलह) रुपये का दंड अधिरोपित किया जाना सही एवं नियम संगत है, जिसे इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 1002, दिनांक 16.12.2025 के द्वारा भी सही ठहराया गया है। उक्त जब्त वाहन के विरूद्ध अभी तक वाहन मालिक अथवा चालक के द्वारा नियमानुसार शमन शुल्क एव खनिज मूल्य की राशि जमा नहीं की गयी है। यदि दण्ड की उक्त राशि जिला खनन कार्यालय, मधुबनी मे जमा कराये बिना उक्त वाहन को विमुक्त किया जाता है तो इससे सरकार को ₹8,44,116.00 (आठ लाख चौवालीस हजार एक सौ सोलह) रुपये के राजस्व का नुकसान होगा। उपरोक्त तथ्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि बिना खनिज परिवहन चालान के खनिजो का परिवहन किए जाने के कारण वाहन को जब्त किया गया था। खनिज परिवहन से सबंधित नियमो का पालन नहीं करने के कारण अपीलकर्ता का अपील स्वीकारनीय नहीं है। उक्त के आधार पर अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज किया जाए तथा वाहन स्वामी को ₹8,44,116.00 (आठ लाख चौवालीस हजार एक सौ सोलह) रुपये दण्ड स्वरूप जिला खनन कार्यालय, मधुबनी में जमा करने का आदेश निर्गत करने की कृपा की जाय।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं खनीज विकास पदाधिकारी, मधुबनी को सुना एवं अभिलेख पर उपलब्ध कागजात का परिशीलन किया। यह अपील वाद अपीलार्थी दीपक कुमार मिश्रा द्वारा बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 (यथा संशोधित 2024) के नियम 67 के अंतर्गत दायर किया गया है। खनिज विकास पदाधिकारी, मधुबनी से प्राप्त प्रतिउत्तर के अनुसार, दिनांक 06.11.2025 को अपराह्न 12:50 बजे सकरी थाना के समीप खान निरीक्षक, मधुबनी द्वारा अपीलार्थी के 6 चक्का हाइड्रोलिक टिपर (वाहन संख्या-BR32GB-5131) को लघु खनिज (गिट्टी) के अवैध परिवहन के आरोप में जप्त किया गया था। खान निरीक्षक के अनुसार, जाँच के समय वाहन चालक द्वारा कोई वैध ई-चालान प्रस्तुत नहीं किया गया था। तत्पश्चात, खनिज विकास पदाधिकारी द्वारा अपीलार्थी के विमुक्ति आवेदन को खारिज करते हुए ज्ञापांक 1002/एम०, दिनांक 16.12.2025 द्वारा नियम 56(2) के तहत ₹8,44,116.00 (आठ लाख चवालीस हजार एक सौ सोलह रुपये) का दंड अधिरोपित किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि जब्ती के समय उनका वाहन लोडिंग के उपरांत रैक के किनारे पार्किंग में खड़ा था और चालक कार्यालय से वैध चालान प्राप्त करने गया था। खान निरीक्षक द्वारा दस्तावेजों का सत्यापन किए बिना, मनमाने ढंग से वाहन जप्त कर लिया गया। अपीलार्थी का दावा है कि उनके पास वैध चालान/ट्रांजिट पास उपलब्ध था, जो उन्होंने अपील के साथ प्रस्तुत किया है। माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा समादेश याचिका वाद संख्या-1488/2025 सुशील कुमार यादव बनाम बिहार राज्य में पारित न्यायादेश का संदर्भ देते हुए यह तर्क दिया गया है कि बिना समुचित जाँच के और वैध दस्तावेजों की अनदेखी कर की गई जप्ती मनमानी है और संविधान के अनुच्छेद 300A का उल्लंघन है। अतः वाहन को दंड मुक्त किया जाना चाहिए।

खनिज विकास पदाधिकारी, मधुबनी ने अपने पत्रांक 117/एम०, दिनांक 09.02.2026 के माध्यम से न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित तथ्यात्मक साक्ष्य प्रस्तुत किए है। वाहन रैक के किनारे नहीं, बल्कि NH–27 (सकरी के पास) पर चलते हुए जप्त किया गया था और चालक वाहन के अंदर ही मौजूद था। खान निरीक्षक द्वारा वाहन दिनांक 06.11.2025 को अपराह्न 12:50 बजे जप्त किया गया था। जबकि अपीलार्थी द्वारा जो ई–चालान प्रस्तुत किया गया है, उसकी निर्गत तिथि 06.11.2025 अपराह्न 1:04 बजे की है। स्पष्टतः यह चालान जप्ती होने के 14 मिनट बाद जेनरेट किया गया है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत विलंबित चालान में 127.750 CFT गिट्टी दर्ज है, जबकि जप्ती सूची के अनुसार वाहन पर भौतिक रूप से 180 CFT गिट्टी लदा था, जो वाहन की वैध लदान क्षमता से मेल नहीं खाता है। अपीलार्थी का यह बचाव कि वाहन रैक के किनारे खड़ा था, जियो–टैग वीडियोग्राफी से असत्य प्रमाणित होता है। परिवहन के समय दिनांक 06.11.2025 को 12:50 बजे चालक के पास कोई वैध ई–चालान नहीं था। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत ई–चालान जप्ती की कार्रवाई के 14 मिनट बाद (अपराह्न 1:04 बजे) निर्गत किया गया है। नियम 43 एवं 56(1)(II) के तहत यह विधिक अनिवार्यता है कि परिवहन शुरू होने से पूर्व और परिवहन के दौरान वैध चालान का वाहन में होना आवश्यक है। पकड़े जाने के बाद (Afterthought के रूप में) चालान जेनरेट करना जप्ती के समय किए गए अपराध (अवैध परिवहन) को विधिक रूप से शून्य नहीं कर सकता है। अपीलार्थी द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय के जिस न्यायादेश (समादेश याचिका वाद संख्या–1488/2025) का हवाला दिया गया है, वह उन मामलों पर लागू होता है जहाँ परिवहन वैध दस्तावेजों द्वारा विधिवत समर्थित हो। प्रस्तुत वाद में अपीलार्थी के पास परिवहन के समय (At the time of interception) कोई वैध दस्तावेज नहीं था। अतः उक्त न्यायादेश का लाभ अपीलार्थी को प्राप्त नहीं हो सकता है। बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 (यथा संशोधित 2024) के नियम 56(2) के अंतर्गत बिना वैध चालान के खनिज का परिवहन एक दंडनीय अपराध है। खनिज विकास पदाधिकारी द्वारा निर्धारित शमन शुल्क एवं खनिज मूल्य ₹8,44,116.00 नियमावली के प्रावधानों के पूर्णतः अनुरूप एवं न्यायसंगत है।

अतः, उपर्युक्त विधिक निष्कर्षों, साक्ष्यों और खनिज विकास पदाधिकारी के प्रतिवेदन के आलोक में, यह अपील वाद आधारहीन, तथ्यहीन एवं बलहीन पाया जाता है। तदनुसार, खनिज विकास पदाधिकारी, मधुबनी द्वारा पारित आक्षेपित आदेश ज्ञापांक–1002/एम०, दिनांक 16.12.2025 एवं पत्रांक–02/कैंप, दिनांक 06.11.2025 को यथावत रखा जाता है तथा अपीलार्थी दीपक कुमार मिश्रा की अपील को पूर्णतः खारिज किया जाता है। अपीलार्थी को यह निर्देशित किया जाता है कि वे नियमानुसार अधिरोपित दंड राशि ₹8,44,116.00 (आठ लाख चवालीस हजार एक सौ सोलह रुपये) अविलंब जिला खनन कार्यालय, मधुबनी में जमा करें। दंड राशि जमा होने के उपरांत ही वाहन (BR32GB-5131) को विमुक्त करने की कार्रवाई की जाए। खनिज विकास पदाधिकारी, मधुबनी को निदेश दिया जाता है कि यदि अपीलकर्त्ता द्वारा उक्त राशि जमा नहीं किया जाता है तो अपीलकर्त्ता के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। तदनुसार, यह अपील वाद अस्वीकृत करते हुए निष्पादित किया जाता है।

(लेखापित एवं संशोधित)

जिला पदाधिकारी,
मधुबनी।

जिला पदाधिकारी,
मधुबनी।

Annexure - (144)

जय प्रकाश नारायण एपेक्स ट्रॉमा सेन्टर/JAI PRAKASH NARAYAN APEX TRAUMA CENTRE

अ० भा० आ० वि० सं०/A. I. I. M. S.

अनुसरण बहिरंग रोगी विभाग / Follow-up Out Patient Department

Unit: Deptt.: Clinic: TC No.

UHID:

Name	F/S	Address
47/01	UHID: 108366375 ABHA: Dept No: 20251780009823 PRASHANT KUMAR S/O RAJEEV CHAUDHARY 26Y 9M 14D / M पुरुष NAGWAH, MADHUBANI BIHAR 847222 BIHAR INDIA Mob: 7877929007 General Rs 0 New Patient सख्या / Queue 0 कमरा / Room: 111-A UNIT-A TRAUMA ORTHO Dr. Vijay Sharma MON, WED सोम,बुध Registration time: 27/10/2025 11:38:53 AM	

Diagnosis 7903246848

Date 9973030110

House Place Lajpat Nagar Delhi

Treatment

o/c/o Distal femur non-union

c/b/a/w Vijay Sharma sir (R) → 19/03/2025

plan. Bone grafting + Medial plate
+/- BMP.

To give early date.

Signature

Meet Dr. Prakash TC7

To try on 3/12/25 for bed

Try on 16/11/25 last

To try on 21/11/25 for Adm in TC7 depending on beds

कृपया अगले अपॉईंटमेंट के लिए कॉल करें / FOR NEXT APPOINTMENT PLEASE CALL : 011-26731237 & 011-26731283

अस्पताल के अन्दर धूम्रपान मना है / SMOKING PROHIBITED IN HOSPITAL PREMISES

(TS)

12/01/2026

- O/c/o (L) Distal tenur. - outside
calm plan was to query.

n/ow no pain

Adv

1) (L) Distal tenur < PP
Ca

2) Limited MCT. (L) Distal tenur PP

for union.

-

To review in RC on 14/01/2026
8.30am, Roo NO: 62

[illegible]

[illegible]

- No union

[illegible] + Medial plate + BG + BMP

C/D/W Viry sh
Sir
→ To admit on
1/02/2026

Review at - RC7, JPMBTC, 8.30am

NOTE DATED: 02/04/2026 11:56
LOCAL TITLE: ORTHOPEDICS DISCHARGE NOTE
ADMITTED: 02/01/2026 16:01 TC4-A

"Unless otherwise specified all dates mentioned in this note are in the format MM DD YYYY"

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
FOR ANY QUERIES /FEEDBACK /EVERY APPOINTMENT KINDLY CONTACT OUP 24 X 7
011-26731237, 011- 26731283

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DEPARTMENT OF ORTHOPEDICS
JPN APEX TRAUMA CENTRE, ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES

DISCHARGE SUMMARY

ID.No. -108-36-6375 UNIT :- ORTHO-A

Patient Name: KUMAR ,PRASHANT AGE:27 SEX:MALE
[illegible]:-
ABHA ID NUMBER : NO(COMMENTS):0
DOA:Feb 1,2026@13:00;DOO(1):;
[illegible] :;DODischarge:Feb 4,2026@13:00
ADDRESS : [illegible]AGWAH, MADHUBANI BIHAR 847222
, DL

[illegible] Bed No:TC4-A/1

[illegible] DR:Asjad Mahmood UNIT : ORTHO-A
[illegible] RES DR:

[illegible] :

[illegible] FEMUR NON UNION

[illegible] EXAMINATION

[illegible] CASE OF LEFT DISTAL FEMUR FRACTURE
[illegible] DONE ON 19/03/2025 ELSEWHERE

[illegible] OF OCCASIONAL LEFT KNEE PAIN
[illegible] COMPLETELY

[illegible]
[illegible] HEALED WELL WITH SECONDARY ATTENTION

** THIS NOTE CONTINUED ON NEXT PAGE **

24 x 7 अपॉइंटमेंट के लिए - 011-26731237, 26731283
जय प्रकाश नारायण एपेक्स ट्रॉमा सेन्टर (अ.भा.आ.सं.)

MEDICAL RECORD

02/04/2026 11:56 ** CONTINUED FROM PREVIOUS PAGE **

NO SWELLING
NO TENDERNESS
NO DEFORMITY
NO CREPITUS
NO ABNORMAL MOBILITY

RADIOLOGY

X-RAY AND CT SUGGESTIVE OF ELFT DISTAL FEMUR NON UNION

COURSE IN HOSPITAL

Uneventful

ADVICE ON DISCHARGE

TO FOLLOW UP IN TC7 WARD AT 9 AM ON SUNDAY 15/02/2026 FOR POSSIBLE ADMISSIONS DEPENDING ON BEDS

PT EXPLAINED THE NEED FOR SURGERY. THEY WERE EXPLAINED THE LACK OF BEDS AND WERE REFERRED TO OTHER ... HOSPITAL OR ANY HOSPITAL OF THEIR CHOICE IN CASE IF THEY WISH TO GET TREATED FROM AIIMS, THEY WERE EXPLAINED OF THE WAITING LIST AND POSSIBILITY OF DELAY WHICH MIGHT NEGATIVELY INFLUENCE THE OUTCOMES OF THE SURGERY.

VERY IMPORTANT NOTE:-

APPOINTMENT SHOULD BE TAKEN FOR OPD VISIT BY DIALING 011-26731237, 011-...
... APPOINTMENT DATE WILL NOT BE CONFIRMED.
... WITH OUT TELEPHONIC APPOINTMENT THROUGH ...
... BE SEEN ON OPD WITH OUT ...

Consultant's Name:Dr.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

... QUERIES /FEEDBACK / ... APPOINTMENT KINDLY CONTACT OUR ...
... 011- ...

AIIMS

KUMAR , PRASHANT

JAI PRAKASH NARAYAN APEX TRAUMA CENTRE (A.I.I.M.S.)
24 X 7 FOR APPOINTMENT 011-26731237, 26731283

जय प्रकाश नारायण एपेक्स ट्रॉमा सेन्टर/JAI PRAKASH NARAYAN APEX TRAUMA CENTRE

अ० भा० आ० वि० सं०/A. I. I. M. S.

अनुसरण बहिरंग रोगी विभाग / Follow-up Out Patient Department

Unit: Dep

UHID:

Name

TC No.

UHID: 108366375
ABHA:
Dept No: 20251780009823

PRASHANT KUMAR

S/O rAJEEV CHAUDHARY
27Y 2M 26D / M पुरुष
NAGWAH, MADHUBANI BIHAR 847222, BIHAR, INDIA
Mob: 7677929007 General Rs. 0
Follow Up Patient

Clinic:
संख्या / Queue 0
कमरा / Room: 104A
UNIT-A
TRAUMA ORTHO
Dr Siva Srivastav G
MON, WED
सोम,बुध
Registration time:
08/04/2026 03:39:44 PM

No.	Address

Diagnosis

Date

Treatment

(L) d/e Non union d/e femur

DOSx - 3/3/26

Medial plating → BG + RIA

Adv.

↑ ROM
Isometric Quads
(152)
Active SLR
Partial wt bearing 25% incremental every week — and more

06/05/2026 2PM
Serum investigations

→ Tab Ultracet SOS
T. Calcium XOD
T. Bonnisan 800 mg XOD x 1 mo.
T. Uprise D3 60K/wk
→ T. Vit C XOD

कृपया अगले अपॉईटमेंट के लिए कॉल करें / FOR NEXT APPOINTMENT PLEASE CALL : 011-26731237 & 011-26731283

अस्पताल के अन्दर धूम्रपान मना है / SMOKING PROHIBITED IN HOSPITAL PREMISES

→ R/A 1 mo.

UHID: 108366375
ABHA:

Dept No: 20251760009623

PRASHANT KUMAR

S/O rAJEEV CHAUDHARY
27Y 3M 24D / M पुरुष
NAGWAH, MADHUBANI BIHAR 847222.
BIHAR, INDIA
Mob: 7677929007 General Rs. 0
Follow Up Patient

संख्या / Queue 10
कमरा / Room: 104A
UNIT-A
TRAUMA ORTHO

Dr. Siva Srivastav G

MON, WED
सोम, बुध

Registration time:
06/05/2026 02:08:39 PM

(40)

Adv
– wt bearing walking c stick.
→ Isometric quads
Active SLR.

6/5/26
PT-152 Manish

– CST x 1 month

(152)

– R/A 1 month

DATE: 10/06/26
TIME: 1.30 P.M